# वित्त विधेयक, 2001

## प्रत्यक्ष-कर के संबंध में उपबंध

वित्त विधेयक, 2001 में, प्रत्यक्ष-कर के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों के संबंध में उपबंध हैः-

(i) निर्धारण वर्ष 2001-2002 के लिए कराधेय आय पर, आय-कर की दरों का विहित किया जाना, उन दरों का विहित किया जाना; जिन पर वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान ब्याज (जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति पर ब्याज है), लाटरी या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़ से जीत,ताश के खेल और ऐसे अन्य प्रवर्ग की आय पर, जो आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर ऐसी कटौती के दायित्वाधीन है, वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए कुछ दशाओं में चालू आय पर "अग्रिम कर" की संगणना करने, "वेतन" से आय-कर की कटौती करने तथा आय-कर प्रभारित करने के लिए दरों का विहित किया जाना।

(ii) समाज कल्याण, औद्योगिकीकरण के लिए उपाय करने, अवसंरचनात्मक विकास, पूंजी बाजार के विकास के लिए उपाय करने, गृह, चाय उद्योग को प्रोत्साहित करने, कर-आधार को बढ़ाने, कर अपवंचन और परिवर्जन की जांच करने, कतिपय उपबंधों को सुव्यवस्थित करने और कर दाता के लिए सरल उपाय करने के साथ-साथ, आय-कर अधिनियम, 1961 का संशोधन।

(iii) धन-कर अधिनियम, 1957 का संशोधन।

(iv) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 का संशोधन।

(v) व्यय-कर अधिनियम,1987 का संशोधन।

(vi) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का संशोधन।

(vii) वित्त अधिनियम, 2000 का संशोधन।

(viii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 का संशोधन।

2. कुछ अपवादों के अधीन रहते हुए, जिन्हें सुसंगत उपबंधों की व्याख्या करते समय उपदर्शित किया गया है, विधेयक इस सिद्धांत का अनुसरण करता है कि कर विधि के उपबंधों में परिवर्तन साधारणतया भविष्यलक्षी प्रभाव से होने चाहिए, न कि विगत वर्षों की आय के संबंध में। प्रत्यक्ष-करों के संबंध में, विधेयक के मुख्य उपबंधों का सार निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया हैः-

## आय-कर

### I. निर्धारण वर्ष 2001-2002 के लिए कराधेय आय की बाबत आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2001-2002 के लिए कर के लिए दायी सभी प्रवर्गों के करदाताओं (निगमित और अनिगमित) की आय की बाबत, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं और ये दरें वही हैं, जो वित्त अधिनियम, 2000 की पहली अनुसूची के भाग 3 में अधिकथित हैं, जो वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान "अग्रिम कर" की संगणना करने, "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने तथा कुछ दशाओं में संदेय कर प्रभारित करने के प्रयोजनों के लिए हैं। यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि व्यष्टिक, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों के संगम, व्यष्टिकों के निकाय, जिनकी कुल आय 60,000 रुपए है किन्तु 1,50,000 रुपए या उससे अधिक नहीं है, की दशा में अध्याय 8क के अधीन छूट के पश्चात् इस प्रकार संगणित कर में बारह प्रतिशत के अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी। यह और विनिर्दिष्ट किया गया है कि व्यष्टिक, हिंदू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों के संगम, व्यष्टिकों के निकाय, जिनकी कुल आय 1,50,000 रुपए से अधिक है, की दशा में अध्याय 8क के अधीन छूट के पश्चात् इस प्रकार संगणित कर में सत्रह प्रतिशत के अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी। कृत्रिम विधिक व्यक्ति, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी और सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस प्रकार संगणित कर में बारह प्रतिशत के अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी। देशी कंपनी की दशा में, इस प्रकार संगणित कर में तेरह प्रतिशत के अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी।

### II. वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें प्रतिभूति पर ब्याज, "प्रतिभूति पर ब्याज" से भिन्न ब्याज, बीमा कमीशन, लाटरी या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय को तथा अनिवासी (जिनके अन्तर्गत अनिवासी भारतीय भी हैं) की आय को लागू होती हैं ये दरें मोटे तौर पर वही हैं, जो वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2000 की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट हैं। सिवाय इसके लाटरी या वर्ग पहेली से जीत और घुड़दौड़ की जीत से कटौती किए जाने वाले कर की दर चालीस प्रतिशत से कम करके तीस प्रतिशत कर दी गई है। ताश के खेल या किसी प्रकार के अन्य खेल के जीत से भी स्रोत पर तीस प्रतिशत की दर पर कर की कटौती की जाएगी। प्रत्येक मामले में स्रोत पर कर की कटौती में दो प्रतिशत के अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी। तथापि, विदेशी कंपनी को कोई अधिभार संदेय नहीं होगा।

### III. वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती, "अग्रिम-कर" की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने की दरें

निर्धारण वर्ष 2001-2002 के दौरान, "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें और करदाताओं के सभी प्रवर्गों की दशा में, उस वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना के लिए भी आय-कर की कटौती की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें उन मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, जैसे कि अनिवासियों को भारत में पोत परिवहन से उद्भूत लाभों के अनंतिम निर्धारण, उस वित्तीय वर्ष के दौरान सदैव के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों की दशा में, निर्धारण या ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण, जिनके द्वारा कर, आदि से बचने के लिए सम्पत्ति अन्तरित किए जाने

की संभावना है, चालू आय पर वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू है। उक्त भाग 3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य बातें निम्नलिखित पैराओं में उपदर्शित की गई हैं :-

**क. व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, आदि**

पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों के संगम, आदि के मामले में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है।

दर संरचना में कोई अन्य परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। तथापि, व्यक्ति की कुल आय 60,000 से अधिक संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर की (अध्याय 8क के अधीन छूट अनुज्ञात करने के पश्चात्) दो प्रतिशत की दर से अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों द्वारा कोई अधिभार संदेय नहीं होगा जिनकी आय 60,000 रुपए या उससे कम है। उपांतिक सहायता का यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया गया है कि 60,000 रुपए से अधिक आय होने पर, संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम, जिसमें अधिभार भी है, ऐसी रकम से सीमित है जिसके द्वारा आय 60,000 रुपए से अधिक होती है।

आय-स्लैब और आय-कर की दरें नीचे दी गई हैं। स्तंभ (क) विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क में दी गई दरों को विनिर्दिष्ट करता है और स्तंभ (ख) विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क में दी गई दरों को विनिर्दिष्ट करता है:-

**सारणी**

| (क) | | (ख) | |
|---|---|---|---|
| **आय-स्लैब** | **विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में यथा विनिर्दिष्ट दरें (अर्थात्, वर्तमान दरें)** | **आय-स्लैब** | **विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में यथा विनिर्दिष्ट दरें (अर्थात्, प्रस्तावित दरें)** |
| 50,000 रुपए तक | शून्य | 50,000 रुपए तक | शून्य |
| 50,001 रुपए - 60,000 रुपए | 10% | 50,001 रुपए - 60,000 रुपए | 10% |
| 60,001 रुपए - 1,50,000 रुपए | 20% [1] | 60,001 रुपए - 1,50,000 रुपए | 20% [2] |
| 1,50,000 रुपए से अधिक | 30% [3] | 1,50,000 रुपए से अधिक | 30% [4] |

*1. इस स्लैब में व्यक्तियों को अध्याय 8क के अधीन छूट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर बारह प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना आवश्यक होगा।*
*2. इस स्लैब में व्यक्तियों को अध्याय 8क के अधीन छूट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर दो प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना आवश्यक होगा।*
*3. इस स्लैब में व्यक्तियों को अध्याय 8क के अधीन छूट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर सत्रह प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना आवश्यक होगा।*
*4. इस स्लैब में व्यक्तियों को अध्याय 8क के अधीन छूट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर दो प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना आवश्यक होगा।*

व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, आदि की दशा में, छूट सीमा में अधिभार के उद्ग्रहण का प्रभाव विभिन्न आय स्तरों पर निम्न प्रकार से होगाः

| कुल आय (रुपए) | विद्यमान कर दायित्व (रुपए) | नया कर दायित्व (रुपए) | कर बचत (रुपए) | कर बचत (%) |
|---|---|---|---|---|
| 50,000 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 55,000 | 500 | 500 | शून्य | शून्य |
| 60,000 | 1,000 | 1,000 | शून्य | शून्य |
| 60,010 | 1,010 * | 1,010 * | शून्य | शून्य |
| 60,020 | 1,020 * | 1,020 * | शून्य | शून्य |
| 60,050 | 1,050 * | 1,030 | 20 | 1.90 |
| 60,100 | 1,100 * | 1,040 | 60 | 5.45 |
| 60,200 | 1,165 | 1,061 | 104 | 8.93 |
| 65,000 | 2,240 | 2,040 | 200 | 8.93 |
| 75,000 | 4,480 | 4,080 | 400 | 8.93 |
| 1,50,000 | 21,280 | 19,380 | 1,900 | 8.93 |
| 1,50,100 | 21,380 @ | 19,411 | 1,969 | 9.21 |
| 1,50,500 | 21,780 @ | 19,533 | 2,247 | 10.32 |
| 2,00,000 | 39,780 | 34,680 | 5,100 | 12.82 |
| 3,00,000 | 74,880 | 65,280 | 9,600 | 12.82 |
| 4,00,000 | 1,09,980 | 95,880 | 14,100 | 12.82 |
| 5,00,000 | 1,45,080 | 1,26,480 | 18,600 | 12.82 |
| 10,00,000 | 3,20,580 | 2,79,480 | 41,000 | 12.82 |

** उपांतिक सहायता का यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया गया है कि 60,000 रुपए से अधिक आय होने पर, अतिरिक्त संदेय आय-कर, जिसमें अधिभार भी है, ऐसी रकम से सीमित है जिसके द्वारा आय 60,000 रुपए से अधिक होती है।*

*@ उपांतिक सहायता का यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया गया है कि 1,50,000 रुपए से अधिक आय होने पर, अतिरिक्त संदेय आय-कर, जिसमें अधिभार भी है, ऐसी रकम से सीमित है जिसके द्वारा आय 1,50,000 रुपए से अधिक होती है।*

**ख. सहकारी सोसाइटी**

सहकारी सोसाइटी की दशा में, आय-कर की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही हैं जो विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के तत्स्थानी पैरा में विनिर्दिष्ट हैं सिवाय इसके कि 20,000 रुपए से अधिक की आय पर उद्गृहीत अधिकतम उपांतिक विद्यमान दर 35% से घटाकर 30% कर दी गई है। तथापि, संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर के दो प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

**ग. फर्म**

फर्म की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर शेष 35 प्रतिशत होगी। तथापि, निवासी फर्मों द्वारा संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर के दो प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

**घ. स्थानीय प्राधिकारी**

स्थानीय प्राधिकारियों की दशा में, आय-कर की दर, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर वही है, जो विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 7 के तत्स्थानी पैरा में विनिर्दिष्ट है। तथापि, संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर के दो प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

**ङ. कंपनियां**

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट की गई है। देशी कंपनियों के लिए 35 प्रतिशत और विदेशी कंपनियों के लिए 48 प्रतिशत की विद्यमान दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तथापि,देशी कंपनियों द्वारा संदेय कर में, संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर के दो प्रतिशत की दर से अधिभार में वृद्धि की जाएगी।

*[खंड 2 और पहली अनुसूची]*

## आर्थिक विकास को त्वरित करने के उपाय

### अवसंरचना के लिए कर अवकाश के उपबंधों का उदारीकरण

धारा 80-झक के विद्यमान उपबंध सड़क, राजमार्ग, पुल, वायुपत्तन, पत्तन और रेल प्रणाली अवसंरचना सुविधाओं और विकास या प्रचालन तथा अनुरक्षण अथवा विकास में लगे उद्यम के बारे में है, इसलिए ऐसी अवसंरचना का प्रचालन और अनुरक्षण करने वाले पांच वर्ष के कर अवकाश तथा आगामी पांच वर्ष के लिए लाभों के तीस प्रतिशत की कटौती के हकदार हैं। यह फायदा, उस वर्ष से, जिसमें ऐसा उद्यम अवसंरचना सुविधा का विकास करता है, प्रारंभ होने वाले पंद्रह वर्षों में से दस क्रमवर्ती वर्षों में उद्यम द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

ऐसे फायदे का दावा करने वाले उद्यम ने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य कानूनी प्राधिकारी के साथ ऐसा करार किया है जिसके लिए उस उद्यम, जो ऐसी सुविधा का विकास करता है, ने अनुबद्ध अवधि के पश्चात् सरकार या लोक प्राधिकारी को ऐसी सुविधा अंतरित कर दी है। दूसरे शब्दों में, इस फायदे को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित शर्त यह है कि निर्माण, स्वामित्व, अंतरण या निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण स्कीमों के अधीन अंतरण पूरा कर लिया गया है।

अवसंरचना में विनिधान के अन्य क्षेत्रों में विनिधान के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है और इसलिए, इसे आकर्षक बनाया जाना चाहिए। विशिष्टतया, भूतल परिवहन, जल प्रदाय, जल उपचार प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता और मलवहन प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के क्षेत्र में विनिधान को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

इसलिए, विधेयक दस वर्षीय कर अवकाश का उपबंध करने के लिए विद्यमान दोहरे फायदे को शिथिल करने का प्रस्ताव करता है। अधिक पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ऐसे उद्यम में प्रारंभिक वर्ष में अवक्षयण के लिए उच्चतर भत्ते दिए जाएं और उनके नकद प्रवाह में सुधार की आवश्यकता है। यह और प्रस्तावित है कि सड़क के रूप में, जिसमें सड़क, पुल, रेल प्रणाली, राजमार्ग परियोजना, जल प्रदाय परियोजना, स्वच्छता, मलवहन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली भी है, अवसंरचना सुविधा के लिए दोहरे कर अवकाश के स्थान पर उस वर्ष से, जिसमें उपक्रम अवसंरचना सुविधा का प्रचालन शुरु करता है, प्रारंभ होने वाले बीस वर्षों में से किन्हीं दस क्रमवर्ती वर्षों से कर अवकाश प्राप्त हो सकेगा। अन्य अवसंरचना की दशा में, अर्थात् वायुपत्तन, पत्तन, अंतर्देशीय पत्तन और अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए यह भी प्रस्तावित है कि विद्यमान दोहरे राजवित्तीय प्रोत्साहन को शिथिल किया जाए। विधेयक ऐसे समान दस वर्ष के कर अवकाश के लिए प्रस्तावित है जिसका पंद्रह वर्ष के ब्लाक में उपयोग किया जा सकेगा। इस आज्ञापक अपेक्षा को समाप्त करने के लिए यह भी प्रस्तावित है कि ऐसी अवसंरचना सुविधा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या अन्य किसी कानूनी प्राधिकारी को अंतरित की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

*[खंड 40]*

## ब्रॉड बैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं के लिए कर अवकाश

धारा 80-झक के विद्यमान उपबंधों के अधीन 31.3.2000 को या उससे पूर्व स्थापित उपक्रम के लाभ और अभिलाभों और दूर संचार सेवाएं देने में लगे उपक्रम की बाबत पांच वर्ष का कर अवकाश आगामी पांच वर्षों में ऐसा कारबार के लाभ के 25% (30% कंपनियों की दशा में) की और कटौती के साथ अनुज्ञात किया जाता है।

देश की दूर संचार सेवाओं का तीव्रता से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इन विकासों के परिप्रेक्ष्य में, यह प्रस्तावित है कि उपक्रमों और इन्हें विस्तारित करने वालों, इंटरनेट सेवा देने वालों और ब्रॉड बैंड नेटवर्कों, दूर संचार क्षमता को बढ़ावा देने और इन खंडों में विनिधान स्तरों को प्रोत्साहित करके अभिसरण करने की दृष्टि से दोहरे फायदे को विप्रेषित किया जाए। विधेयक यह प्रस्ताव करता है कि ऐसे सभी उपक्रम, जो 31.3.2003 को या इससे पूर्व इन सेवाओं को प्रदान करते हैं, फायदे के लिए हकदार होंगे।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

*[खंड 40]*

## विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण नेटवर्क के लिए कर अवकाश

धारा 80-झक के विद्यमान उपबंधों के अधीन, पांच वर्ष के कर अवकाश और पश्चात्वर्ती पांच वर्ष में लाभ के 25% (30% कंपनियों की दशा में) की कटौती, उत्पादन या वितरण या विद्युत के उत्पादन, विद्युत के कारबार, या उत्पादन और वितरण में लगे ऐसे उपक्रमों को अनुज्ञात है जो 31.3.2003 को या उससे पूर्व विद्युत का उत्पादन आरंभ करते हैं।

जैसा कि विद्युत के उत्पादन को एक लक्ष्यात्मक स्तर तक अभी पहुंचना है, इसलिए यह प्रस्ताव है कि 31.3.2006 को या उससे पूर्व विद्युत के उत्पादन प्रारंभ करने वाले या नए पारेषण और वितरण का जाल बिछाने में लगे उपक्रमों के लिए कर अवकाश की अवधि विस्तारित की जाए। उपलब्ध राजवित्तीय फायदे

को और शिथिल किया गया है तथा ऐसे उपक्रम आरंभिक पन्द्रह वर्ष में से विद्यमान दोहरे कर फायदे के स्थान पर दस वर्ष के कर अवकाश के लिए हकदार होंगे।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 40]***

## विशेष आर्थिक जोन और औद्योगिक पार्कों के विकासकर्ताओं को कर अवकाश

धारा 80-झक के उपबंधों के अधीन, ऐसा कोई उपक्रम, जो 1 अप्रैल, 1997 के पश्चात्, किंतु 31 मार्च, 2002 से पूर्व औद्योगिक पार्क के विकास या विकास और प्रचालन या प्रचालन तथा अनुरक्षण प्रारंभ करता है, पांच वर्ष के कर-अवकाश और पश्चात्‌वर्ती पांच वर्षों में 30% की कटौती का हकदार है। दोहरा फायदा उस वर्ष से, जिसमें उपक्रम औद्योगिक पार्क को विकसित करता है, प्रारंभ होने वाले पन्द्रह वर्षों में से किन्हीं दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के भीतर लाभ ले सकेगा।

नई अवसंरचना सृजित करने और निर्यात पर बल देने के लिए मध्यावधि रणनीति के भागरूप में यह प्रस्ताव है कि यह फायदा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकासकर्ता के लिए विस्तारित किया जाए। यह फायदा नए आर्थिक क्षेत्रों के विकासकर्ताओं और औद्योगिक पार्कों के विकासकर्ताओं को भी तब उपलब्ध होगा जब ऐसे आर्थिक क्षेत्र और औद्योगिक पार्क 31.3.2006 को या उसके पूर्व विकसित किए गए हों। विद्यमान दोहरे फायदे को दस वर्ष के कर-अवकाश का उपबंध करने के लिए भी और उदारीकृत किया गया है जिसका पन्द्रह वर्षों के ब्लाक में दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों में उपयोग किया जा सकेगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 40]***

## सहकारी बैंकों का धारा 10 (23छ) के अधीन पात्र विनिधानकर्ता होना

"अवसंरचना पूंजी कंपनी" और "अवसंरचना पूंजी निधि" पदों को धारा 10(23छ) में परिभाषित किया गया है। इस समय, ऐसे सहकारी बैंक, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबंधों के अधीन न तो कंपनी के रूप में और न ही निधि के रूप में प्रचालन कर रहे हैं, इन परिभाषाओं के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

धारा 10 के खंड (23छ) को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि किसी सहकारी बैंक के ब्याज, लाभांश (धारा 115-ण में निर्दिष्ट लाभांश से भिन्न) और साम्य के माध्यम से किए गए विनिधान से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अथवा किसी अनुमोदित उद्यम में दीर्घकालिक वित्त के माध्यम से आय को भी आय-कर के संदाय से छूट दी जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

***[खंड 5(छ)]***

## धारा 10 (23छ) के अधीन वित्तीय प्रतिभूति प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त फीस या प्रतिभूति कमीशन से आय को छूट प्राप्त होना

धारा 10 के खंड (23छ) में और संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि इस खंड के अधीन छूट का विस्तार किसी वित्तीय संस्था द्वारा किसी अनुमोदित उद्यम को प्रत्यय वृद्धि या वित्तीय गारंटी प्रदान करने के लिए प्रत्यय वृद्धि फीस या गारंटी कमीशन के माध्यम से प्राप्त आय के लिए किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

***[खंड 5(छ)]***

## आवासन

धारा 24 में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् स्वःअधिभोग के लिए गृह का अर्जन या सन्निर्माण करने के लिए उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज पर एक लाख रुपए तक कटौती की जा सकती है, जहां पर ऐसा अर्जन या सन्निर्माण 1 अप्रैल, 2003 से पहले कर लिया जाता है।

स्वः अधिभोग के लिए गृहों को संदेय गृह ऋणों पर विद्यमान एक लाख रुपए की कटौती की सीमा को बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 15]***

## चाय उद्योग के लिए वर्धित कर प्रोत्साहन

आय-कर अधिनियम की धारा 33कख की उपधारा (1) के विद्यमान उपबधों के अधीन, जहां पर कोई निर्धारिती भारत में चाय उगाने और विनिर्मित करने का कारबार कर रहा है, पूर्ववर्ती वर्ष के अंत से 6 मास समाप्त होने से पहले या विवरणी फाइल करने से पहले, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में या चाय निक्षेप लेखा में अनुमोदित स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए तदनुसार कोई रकम जमा करता है तो निर्धारती के पास इस प्रकार जमा की गई रकम या ऐसे कारबार के 20% लाभ, इनमें से जो भी कम हो, की रकम के बराबर कटौती करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

नवीकरण और पुनःपौधरोपण और प्रसंस्करण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए चाय उद्योग को सक्षम बनाने के उद्देश्य से, स्रोतों का सृजन करने के लिए यह प्रस्ताव है कि विद्यमान बीस प्रतिशत की कटौती की सीमा को बढ़ाकर चालीस प्रतिशत कर दिया जाए जिससे कि इसकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सके

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 22]***

## वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कर रियायत

आय-कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कक) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान को वैज्ञानिक अनुसंधान का अनुमोदित कार्यक्रम चलाने के लिए किसी निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि, इस प्रकार संदत्त राशि के एक सही एक बटा चार की भारित कटौती के लिए पात्र है।

विधेयक इस कटौती को विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए संदत किसी राशि के संबंध में उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

*[खंड 23]*

## आंतरिक अनुसंधान और विकास पर व्यय की बाबत भारित कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के खंड (1) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबधों के अधीन, ऐसी किसी कंपनी को, जो किन्हीं ओषधियों, भेषजियों, विद्युत उपस्करों, कंप्यूटरों, दूर-संचार उपस्करों, रसायनों या बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी अन्य वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगी हुई हैं, विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार उसके द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान पर (जो किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है), या आंतरिक अनुसंधान पर और विकास सुविधा पर उसके द्वारा उपगत डेढ़ गुना के बराबर राशि की कटौती के लिए अनुज्ञात किया गया है।

अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को और प्रोत्साहन देने और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव है कि अनुसंधान और विकास के व्यय के लिए भारित कटौती जैव-प्रौद्योगिकी के कारबार के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह उपबंध करने के लिए यह और प्रस्तावित है कि उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी व्यय में नैदानिक परीक्षण, विनियामक अनुमोदन और पेटेंट फाइल करने पर उपगत व्यय सम्मिलित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

*[खंड 23]*

### स्टाक विकल्प स्कीम के अधीन कर्मचारियों को जारी की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद और अन्य ज्ञान पर आधारित उद्योगों पर विस्तार

धारा 115 कगक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन कोई ऐसी कंपनी के, जो कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम के अनुसार, अधिसूचित है, सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में लगी है, के निवासी कर्मचारी द्वारा क्रय किए गए भारतीय कंपनी की सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत लाभाशों या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय दस प्रतिशत की दर पर कराधेय है।

ज्ञान पर आधारित किसी अन्य सेक्टर, अर्थात् मनोरंजन सेवा, भेषजीय, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य उद्योग या ऐसी सेवाएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, में लगे कर्मचारियों द्वारा क्रय की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत आय पर भी कराधान की इस रियायती दर को विस्तारित करने का प्रस्ताव है। उपरोक्त उल्लिखित समनुषंगी कंपनियों, चाहे वह देशी हों या विदेशी हों, के कर्मचारियों द्वारा क्रय की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से प्राप्त आय पर भी कराधान की उक्त रियायती दरों को विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2001-2002 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

*[खंड 48]*

## ग्रामीण अवसंरचना

### धारा 54ङग के अधीन छूट का रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी विनिधान बंधपत्रों पर विस्तार

धारा 54ङग के विद्यमान उपबधों के अधीन दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की बाबत कर से छूट में दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान किए गए अभिलाभ के विस्तार उपबंधित हैं। इस धारा के अंतिम स्पष्टीकरण दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति को ऐसे बंधपत्र के रूप में, जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् जारी किया है और जो 3 वर्ष के पश्चात् मोचनीय है, परिभाषित करता है।

चूंकि, ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें गावों का विद्युतीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में पम्पसेटों को चलाना भी है, सरकार के लिए प्राथमिकता के विषय हैं, इसलिए यह उपबंध करने के लिए धारा 54ङग के स्पष्टीकरण को संशोधित करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय बंधपत्र को सम्मिलित किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

*[खंड 29]*

### खाद्यानों की एकीकृत उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन में लगे उपक्रमों को कर अवकाश

आय-कर अधिनियम की धारा 80-झख के विद्यमान उपबधों के अधीन नए औद्योगिक उपक्रम या किसी पोत या होटल के काराबार से व्युत्पन्न लाभ की बाबत कराधेय आय की संगणना करते समय कटौती अनुज्ञात है। खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास, भण्डारण हेतु अवसंरचना के उन्नयन और आधुनिकीकरण, खाद्यानों की उठाई-धराई और परिवहन के संबंध में, देश के मुख्य विषयों को पूरा करना एक मुख्य विषय है, जिसमें आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी का प्रारंभ, अन्न प्रबंधन प्रणाली में बृहत् दक्षता ला सकता है और फसल कटाई के पश्चात् खाद्यानों की हानियों को न्यूनिकृत करेगा।

विधेयक, यह उपबंध करने का प्रस्ताव करता है कि एकीकृत बृहत उठाई-घराई, भण्डारण और परिवहन में लगे किसी उपक्रम को पहले पांच वर्षों के लिए शतप्रतिशत कटौती और अगले पांच वर्षों के लिए तीस प्रतिशत कटौती अनुज्ञात करके भण्डारण क्षमताओं को प्रोत्साहित किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

*[खंड 41]*

### मुक्त व्यापार जोनों, निर्यात प्रसंस्करण जोनों, विशेष आर्थिक जोनों से संबंधित उपक्रमों और निर्योतोन्मुख एककों के संबंध में उपबंधों का उपान्तरण

आय-कर अधिनियम की धारा 10क के अधीन मुक्त व्यापार जोनों में स्थापित नए उपक्रम दस वर्ष की अवधि के लिए कर अवकाश के हकदार हैं। इसी प्रकार, आय-कर अधिनियम की धारा 10ख शतप्रतिशत निर्योतोन्मुख स्थापित नए उपक्रमों की बाबत दस वर्ष के कर अवकाश का उपबंध करती है। वित्त

अधिनियम, 2000 आय-कर अधिनियम की धारा 10क और 10ख को प्रतिस्थापित करता है। नए उपबधों की एक शर्त यह उपबंध करती है कि किसी उपक्रम को कटौती का यह फायदा प्राप्त नहीं होगा यदि उसका स्वामित्व या फायदाप्रद हित किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दिया जाता है। कंपनियों के मामले में लागू एक स्पष्टीकरण यह और उपबंध करता है कि जहां पर 51% शेयर ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो यूनिट को स्थापित करते समय इन शेयरों को धारित करते हैं, फायदाप्रद रूप से धारित नहीं किए जाते हैं, वहां यह स्वामित्व का अंतरण समझा जाएगा।

विधेयक यह स्पष्ट करने का उपबंध करता है कि उपधारा (9) का स्पष्टीकरण उन कंपनियों को लागू नहीं होगा जिनमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध है। दूसरे शब्दों में, ऐसी कंपनियां जिस समय शेयर धारण के पैटर्न में कोई परिवर्तन होता है, उपबंधों के फायदे से वंचित नहीं होंगी।

विधेयक यह स्पष्ट करने का और प्रस्ताव करता है कि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात में विदेश में ऐसे ग्राहक के स्थान से सॉफ्टवेयर का विकास सम्मिलित है, इन उपबधों के अधीन लाभ का पात्र होगा। अधिनियम की धारा 80जजङ के उपबधों में ऐसा ही संशोधन किया जा रहा है।

प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक होने के कारण भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2001-2002 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

*[खंड 6, 7 और 39]*

**निजी बीमाकर्ता को समान सुविधाओं का उपबंध करने के लिए संशोधन**

आय-कर अधिनियम की धारा 80गगग, 80घ, 80घघ के अधीन कतिपय पेंशन निधियों, चिकित्सीय बीमा प्रीमियम और निःशक्त आश्रितों के रखरखाव पर अभिदाय की बाबत कटौती अनुज्ञात की जाती है। धारा 88 के अधीन विनिर्दिष्ट विनिधानों और जीवन बीमा प्रीमियम पर रिबेट उपलब्ध है। बीमा क्षेत्र के खुलने से विधेयक इन उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है ताकि प्राइवेट बीमाकर्ताओं और उनके पालिसीधारकों को वही प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा सकें जो जीवन बीमा निगम और उसके पालिसी धारकों को उपलब्ध हैं। आय-कर अधिनियम में धारा 2 (28खख) के प्रयोजनों के लिए "बीमाकर्ता" को परिभाषित करने के लिए और किसी अनुमोदित बीमाकर्ता द्वारा पेंशन निधि की आय से छूट से संबंधित अधिनियम की धारा 10 (23ककख) का संशोधन करने के लिए परिणामिक संशोधन किए जा रहे हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

*[खंड 3, 5, 34, 35, 36 और 43]*

## पूंजी बाजार का विकास करने के लिए उपाय

**देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर**

धारा 115-ण के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी देशी कंपनी द्वारा लाभांशों के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर किसी देशी कंपनी की कुल आय की बाबत प्रभार्य आय-कर के अतिरिक्त, बीस प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त आय-कर प्रभारित है।

पूंजी बाजार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, धारा 115-ण को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि देशी कंपनियों के वितरित लाभ पर कर को बीस प्रतिशत से कम करके दस प्रतिशत किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

*[खंड 50]*

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियों द्वारा वितरित आय पर कर**

विद्यमान उपबंधों के अधीन, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधियों द्वारा उनके यूनिट धारकों को वितरित आय की, रकम कर से प्रभार्य है और भारतीय यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियां ऐसी वितरित आय पर बीस प्रतिशत की दर से कर का संदाय करने के लिए दायी हैं।

पूंजी बाजार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, धारा 115द को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियों द्वारा वितरित आय पर कर को बीस प्रतिशत से कम करके दस प्रतिशत किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

*[खंड 52]*

**प्राथमिक निर्गम में पुनः विनिधान किए जाने वाली छूट प्राप्त प्रतिभूतियों और यूनिटों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ**

पूंजी बाजार में उतार-चढ़ाव में सुधार लाने और प्राथमिक बाजार के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रस्तावित है कि आय-कर अधिनियम में यह उपबंध करने के लिए एक नई धारा 54ङघ अंतःस्थापित की जाए कि किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो किसी पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिट हैं, अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ को उस सीमा तक कर से छूट होगी यदि ऐसे पूंजी अभिलाभ पूंजी के पात्र निर्गम के भाग रूप साधारण शेयरों में विनिधान किया जाता है जो पब्लिक कंपनी द्वारा बनाए गए हों और जनता को प्रतिश्रुति के लिए प्रस्थापना की गई हो।

यह उपबंध करने के लिए और प्रस्तावित है कि एक वर्ष की समापन अवधि के लिए और यदि नए अर्जित शेयरों का इस अवधि के दौरान विक्रीत या उनको अंतरित किया जाता है तब मूल आस्ति से पूंजी अभिलाभ को विक्रय या अंतरण के वर्ष में कर के लिए प्रभारित किया जाएगा।

यह उपबंध करने के लिए यह भी प्रस्तावित है कि जहां नए साधारण शेयरों की लागत को इस धारा के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया है, वहां ऐसी लागत के संदर्भ में आय-कर की रकम में से कटौती धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

*[खंड 30]*

**धारा 115 कग के अधीन कर की रियायती दर का अन्य अधिसूचित स्कीमों पर विस्तारित किया जाना**

धारा 115कग में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो अनिवासी है और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अनिवासी निर्धारिती द्वारा विदेशी विनिमय में क्रय किए गए किसी भारतीय कंपनी के बंधपत्र या शेयरों से उद्भूत ब्याज या लाभांशों

(धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभाशों से भिन्न) और दीर्घकालिक लाभों से उद्भूत आय पर केवल दस प्रतिशत कर लगेगा। इस धारा में सरकार द्वारा विक्रय किए गए पब्लिक सेक्टर कंपनियों के बंधपत्र या शेयरों का विदेशी मुद्रा में अनिवासी निर्धारिती द्वारा क्रय किए गए बंधपत्र या शेयरों से उद्भूत आय पर दस प्रतिशत कर को विस्तारित करने का उपबंध है।

विद्यमान धारा 115कग के स्थान पर एक नई धारा लाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में कराधान की रियायती दर विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपागार रसीद तंत्र के माध्यम से) स्कीम, 1993 के अनुसार, जो सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के द्वारा जारी किए गए शेयरों को निर्दिष्ट करती है, भारतीय कंपनी के बंधपत्रों या शेयरों के प्रतिनिर्देश से रियायती दरें उपलब्ध हैं। अतः, रखी गई नई धारा के अधीन "शेयर" शब्द के स्थान पर "सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद" पद का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

कर की इस रियायती दर को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य स्कीमों के अधीन जारी की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों पर भी विस्तारित करने का प्रस्ताव है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैंः-

(क) किसी भारतीय कंपनी के लंबित शेयरों के आरंभिक निर्गम जारी किए जाने के संबंध में, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किसी स्कीम के अनुसार, जारी किए गए सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें और किसी अनुमोदित मध्यवर्ती अनिवासी के माध्यम से विदेशी करेंसी में क्रय की जाती हैं; या

(ख) सरकार द्वारा किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विक्रीत की गई और अनिवासी द्वारा विदेशी करेंसी में क्रय की गई पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयरों के संबंध में जारी सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें; या

(ग) ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे, किसी भारतीय कंपनी के विद्यमान लंबित शेयरों के संबंध में पुनः जारी की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें और अनिवासी द्वारा किसी अनुमोदित मध्यववर्ती के माध्यम से विदेशी करेंसी में क्रय की जाती हैंः या

(घ) किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के, ऐसी स्कीम के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित करे, ऐसी कंपनी द्वारा अपने शेयर धारण को अपनी समनुषंगी कंपनी में अविनिधान पर, शेयरों के संबंध में पुनः जारी की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें और अनिवासी द्वारा किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी करेंसी में क्रय की जाती हैं।

आय-कर अधिनियम की धारा 47 और 196ग में पारिणामिक संशोधन किए जाने का भी प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

***[खंड 27, 47 और 67]***

## कर आधार को व्यापक बनाने के उपाय

### कंपनियों द्वारा विवरणी का अनिवार्य रूप से फाइल किया जाना

आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति से यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसकी बाबत वह पूर्व वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम से अधिक होती है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, तो ऐसी आय की एक विवरणी विहित प्ररूप में और रीति से नियत तारीख को या उसके पूर्व फाइल करना अपेक्षित है।

यह देखा गया है कि ऐसी अनेक कंपनियां, जो हानियां उपगत करती है, इस तर्क के साथ विवरणियां फाइल नहीं करती है कि उन्होंने कोई आय अर्जित नहीं की है। इसलिए, यह उपबंध करने के लिए धारा 139(1) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे प्रत्येक कंपनी से आय की विवरणी फाइल करना तब अपेक्षित होगा जब वह हानि उपगत करे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

***[खंड 54]***

### कतिपय विवरणी और प्रमाणपत्रों में स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्थायी लेखा संख्यांक अनिवार्य रूप से दर्शित करना

कतिपय संदायों से कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों और कतिपय मालों के विक्रेताओं से कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा कटौती या संगृहीत ऐसे कर की बाबत विवरणी का परिदान करें या प्रमाणपत्र जारी करें। ऐसी विवरणियों का परिदान करने के लिए या ऐसे व्यक्तियों, जिनकी आय की कटौती की जाती है या ऐसे व्यक्तियों, जिनका कर संगृहीत किया जाता है, के स्थायी लेखा संख्यांक को उल्लिखित करने के लिए अंतर्विष्ट स्तम्भों में ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्ररूप विहित किए गए हैं। तथापि, अधिकांश मामलों में ऐसी संख्या इस प्रकार उल्लिखित नहीं की जाती है।

आय के अप्रकटीकरण और नए करदाताओं का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए ऐसी विवरणियों या प्रमाणपत्रों में अंतर्विष्ट जानकारी को संशोधित करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव है कि ऐसी आय, जिससे कर की कटौती की गई है या जिससे कर संग्रहण योग्य है, प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसे आज्ञापक बनाने के लिए धारा 139क में एक नई उपधारा (5क), (5ख), (5ग) और (5घ) अंतःस्थापित की जाए जिससे कि ऐसे कर की कटौती या संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अपना स्थायी संख्यांक दे सके और इसे क्रमशः, धारा 206 और 206ग के अधीन विहित स्रोत पर कर की विवरणी में और क्रमशः धारा 203 और धारा 206ग(5) के अधीन जारी प्रमाणपत्रों में ऐसे व्यक्तियों को स्थायी लेखा संख्यांक दर्शित करने के लिए कर कटौती या संगृहीत करने वाले व्यक्ति के लिए बाध्यकारी भी बनाया जा सके। ऐसे संख्यांक को विधेयक के खंड 63 द्वारा उपबंधित किए जाने वाले प्रस्तावित परिलब्धियों के विवरणियों में दर्शित किया जाना भी अपेक्षित होगा। यह अपेक्षा कतिपय ऐसे व्यक्तियों की बाबत लागू नहीं होगी जो आय-कर की विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित नहीं है। और, सरकार ऐसी तारीख को पृथक् रूप से अधिसूचित कर सकेगी जिससे ऐसी अपेक्षा व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों की बाबत लागू होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

***[खंड 55]***

### कतिपय विदेशी वाणिज्यिक उधार पर ब्याज से संबंधित छूट के लिए अंतिम खंड

धारा 10 के खंड (15) के उपखंड (iv) के भाग (क), (ख), (ग),(घ) (ङ) और (च) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय निकायों द्वारा विदेशी करेंसी में कतिपय उधारों पर (विदेशी वाणिज्यिक उधार) संदेय ब्याज के वर्तमान रूप में कर से छूट प्राप्त है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उधारदाता द्वारा प्राप्त ब्याज, उसके निवासी देश में कराधेय है और वह ऐसे ब्याज, आय पर भारत में किए गए किसी कर के संदाय के लिए प्रत्यय प्राप्त करेगा। ऋणदाता को भारत में कर के दायित्व से कोई भी छूट वास्तव में उसे लाभ नहीं पहुंचाती अपितु इसका परिणाम केवल कर राजस्व में कटौती होता है।

अतः, धारा 10(15) (iv) के भाग (क), (ग), (घ) और (ङ) को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि इन भागों के अधीन प्राप्त छूट 1 जून, 2001 के पश्चात् लिए गए किसी उधार के लिए उपलब्ध न हो । इसी प्रकार, धारा 10(15)(iv) के भाग (ख) और (च) के संशोधनों का प्रस्ताव है ताकि 1 जून, 2001 को या उसके पश्चात् किए गए किसी करार के अनुसरण में, उधार लिए गए धन पर संदत्त ब्याज को कुल आय की संगणना में सम्मिलित किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 5 (ख)]***

**खेल प्रदर्शन से जीत पर स्रोत पर कर की कटौती**

आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी लाटरी या वर्ग पहेली से जीत के रूप में आय की बाबत प्रवृत्त दरों पर स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन इस धारा की परिधि का विस्तार करने के लिए है जिससे कि इसे ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में किसी आय पर लागू किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

***[खंड 65]***

**ब्याज से आय पर स्रोत पर कर कटौती से संबंधित उपबंधों का उपांतरण**

आय-कर अधिनियम की धारा 194क में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर, जहां किसी बैंक की शाखा के पास समय निक्षेप या आवास-वित्त कंपनी के पास निक्षेप की बाबत वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई संदत्त ऐसी आय, जिसके जमा किए जाने या संदत्त किए जाने की संभाव्यता है, की कुल रकम 10,000 रुपए से अधिक नहीं है और अन्य मामलों में 5,000 रुपए है, वहां प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज के रूप में आय से स्रोत पर किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी।

उपरोक्त धनीय सीमाओं को सभी मामलों में 2,500 रुपए तक पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

***[खंड 64]***

**कमीशन या दलाली के रूप में आय से स्रोत पर कर की कटौती**

इस समय, कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं है) और दलाली के रूप में आय, स्रोत पर कर की कटौती के अधीन नहीं है। विधेयक, स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित एक नई धारा 194ज अन्तःस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित धारा के अधीन ऐसा कोई व्यक्ति जो की गई उन सेवाओं (जो वृत्तिक सेवाएं नहीं हैं) के लिए या माल के क्रय या विक्रय के अनुक्रम में या किसी आस्ति, मूल्यवान वस्तु या चीज (जो प्रतिभूतियां नहीं हैं) से संबंधित किसी संव्यवहार के संबंध में एक ही सेवाओं के लिए कमीशन या दलाली के रूप में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा। तथापि, ऐसी कटौती वहां नहीं की जाएगी जहां किसी वित्तीय वर्ष में संदाय की रकम या संदायों की कुल रकम दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है। नई धारा तब लागू नहीं होगी जब संदाय व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा किया जाता है। "कमीशन या दलाली", "वृत्तिक सेवाएं" और "प्रतिभूतियां" पदों को प्रस्तावित धारा के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया जा रहा है।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

***[खंड 66]***

**राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय आवासन बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का आय-कर के संदाय के लिए दायी होना**

अधिनियम में दिए गए उन्हीं के लिए उपबंध द्वारा कतिपय कानूनी निकायों को किसी आय-कर या धन-कर के संदाय से छूट दी गई है जिसके लिए इन निकायों का गठन किया गया था। इन्हें प्रत्यक्ष कर कानून के उपबंधों के माध्यम से ही नहीं अपितु ये जिस अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए हैं, उसके सरल खंड द्वारा दावे की छूट के हकदार हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को किसी भी प्रकार की आय, लाभ या अभिलाभ या इसके द्वारा प्राप्त की गई किसी राशि पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 55 के अधीन आय-कर और अन्य करों की संदाय से छूट प्राप्त है।

राष्ट्रीय आवासन बैंक (एनएचबी) को किसी प्रकार की आय प्राप्त लाभ और अभिलाभों या इसके द्वारा प्राप्त राशि पर आय-कर और अन्य करों से राष्ट्रीय आवासन बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 48 के अधीन छूट प्राप्त है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और लघु उद्योग विकास सहायता निधि को किसी प्रकार की आय प्राप्त लाभ और अभिलाभ या इसके द्वारा प्राप्त की गई किसी राशि पर आय-कर और अन्य करों से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 50 के अधीन छूट प्राप्त है।

ये संस्थाएं लम्बी अवधि से अपने अस्तित्व में हैं और अपना कारबार वाणिज्यिक आधार पर कर रही हैं। इस प्रकार, अब उन्हें कर से छूट प्रदान करना युक्तिसंगत नहीं है जबकि इस प्रकार की अन्य संस्थाएं अपने करों का संदाय कर रही हैं।

अतः, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 55, राष्ट्रीय आवासन बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 48 और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 50 का लोप करके इन अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

***[खंड 133, 134 और 135]***

## कल्याणकारी उपाय

### स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता, बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास को दिए गए दानों के लिए शतप्रतिशत कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 80छ के विद्यमान उपबंधों के अधीन दाता की आय की संगणना में अभिदाय की पचास प्रतिशत की कटौती अनुज्ञात की जाती है। तथापि, कतिपय निधियों को किए गए दान की बाबत शत-प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जाती है।

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के कष्ट को दूर करने के लिए, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास को किए गए दानों को शतप्रतिशत कटौती का फायदा प्रदान किया जाए।

यह प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 37]***

## कर दाता के लिए सरल उपाय

### वेतन भोगी कर्मचारियों के निम्न प्रवर्ग के लिए अनुतोष

आय-कर अधिनियम की धारा 88 व्यष्टिकों या हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों को जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्यनिधि में अभिदान पर अनुतोष के लिए उपबंध करता है। रिबेट कुल रकम का बीस प्रतिशत है या किसी, लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार या खिलाड़ी की दशा में, उपबंध में विनिर्दिष्ट रकम का पच्चीस प्रतिशत है।

सीमांत बचत को अधिकतर प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, विधेयक में यह उपबंध करना प्रस्तावित है कि उस करदाता के मामले में, जिसकी सकल वेतन आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं है (धारा 16 के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व) और सभी स्रोतों से उसकी कुल सकल आय का 90% से कम नहीं है, वहां बचत पर रिबेट की रकम सामान्य रिबेट की 20% की बजाय 30% होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल,2002 से लागू होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 43]***

### कतिपय दशाओं में स्थावर संपत्ति के अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 230क के अधीन समाशोधन प्रमाणपत्र की अपेक्षा को समाप्त किया जाना

धारा 230क के विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी व्यक्ति या पांच लाख रुपए से अधिक की मूल्यांकित किसी संपत्ति के अधिकार, हक या हित के अंतरण, समनुदेशन, परिसीमन या निर्वापन के अधिकार के लिए तात्पर्यित किसी दस्तावेज का तब तक रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जा सकता जब तक कि निर्धारण अधिकारी यह प्रमाणित न कर दे कि ऐसे व्यक्ति ने सभी वर्तमान कर दायित्वों का या तो संदाय कर दिया है या संदाय के लिए समाधानप्रद व्यवस्था कर दी है या दस्तावेज के रजिस्ट्रकरण से किसी वर्तमान कर दायित्व की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आय-कर विभाग से पूर्व समाशोधन प्राप्त करने की कठिनाई को दूर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का लोप किया जाए।

यह संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

***[खंड 71]***

### प्रतिदायों के निर्गम, पुनर्निर्धारण तथा कटौती किए जाने वाले निर्धारणों के पुनः आरंभ के लिए समय-सीमा

निर्धारिती को प्रतिदाय या मांग नोटिस, यदि कोई हो, के साथ सूचना भेजने के लिए दो वर्ष की अवधि का उपबंध धारा 143(1) में किया गया है। विभाग में अब उपलब्ध कम्प्यूटर सहायता को ध्यान में रखते हुए, धारा 143 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी सूचना उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें आय का विवरण दिया जाता है, एक वर्ष के भीतर भेजी जाएगी। तथापि, दो वर्ष की समय-सीमा निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए पहले ही फाइल की गई विवरणियों की बाबत लागू होता रहेगा।

आय-कर अधिनियम की धारा 149(1) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी वर्ष की आय का निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनर्संगणना के लिए धारा 148 के अधीन कोई सूचना उस सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष, सात वर्ष या दस वर्ष की अवधि के भीतर इस बात पर निर्भर रहते हुए कि क्या सुसंगत वर्ष के लिए निर्धारण पहले किया गया था या नहीं और आय की रकम निर्धारण से छूट गई है, जारी की जा सकेगी।

किसी अल्प अवधि के भीतर निर्धारण को अन्तिम रूप देने की निश्चितता प्रदान के उद्देश्य से, यह उपबंध करने के लिए धारा 149 की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 148 के अधीन सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से केवल चार वर्ष के भीतर या उन मामलों में जहां ऐसे कर से प्रभार्य आय की रकम उस वर्ष के लिए एक लाख रुपए तक है या उससे अधिक होनी संभाव्य है, सुसंगत वर्ष की समाप्ति से छह वर्ष के भीतर जारी की जा सकती है।

आय-कर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (2) और (2क) विभिन्न परिस्थितियों में, आयकर के निर्धारणों, पुनर्निधारणों या पुनर्संगणना को पूरा करने संबंधी समय-सीमाओं के लिए उपबंध करती है। ऐसी कार्यवाहियों को शीघ्र अंतिम रूप देने की दृष्टि से, धारा 153 की उपधारा (2) और (2क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनर्संगणना के ऐसे आदेश करने के लिए उनमें विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं को दो वर्ष से एक वर्ष किया जा सके। तथापि, जहां धारा 148 के अधीन, यथास्थिति, सूचना तामील की गई है या धारा 153(2क) में उल्लिखित कोई ऐसा आदेश प्राप्त किया गया है या पारित किया गया है। 1 अप्रैल, 1999 को या इसके पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2000 से पहले, ऐसा निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनर्संगणना 31 मार्च, 2002 तक किसी भी समय की जा सकेगी।

धारा 153 की उपधारा (3) के खंड (i), जो पारिणामिक प्रकृति का है, का लोप करने का भी प्रस्ताव है।

ऐसे ही संशोधन धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 17 और 17क में प्रस्तावित हैं।

धारा 154 के अधीन परिशोधन के लिए आवेदनों को निपटाने की बाबत किन्हीं विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं के अभाव पर विचार करते हुए, यह उपबंध करने के लिए धारा 154 में एक नई उपधारा (8) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि जहां किसी निर्धारिती द्वारा इस उपधारा के अधीन संशोधन के लिए उक्त धारा में निर्दिष्ट किसी आय-कर प्राधिकारी को 1 जून, 2001 को या इसके पश्चात् कोई आवेदन किया जाता है वहां प्राधिकारी उस मास की समाप्ति से, जिसमें ऐसा आवेदन उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, छह मास के भीतर या तो संशोधन करके या दावे को अनुज्ञात करने से इंकार करके आदेश पारित कर सकेगा।

ये संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होंगे।

***[खंड 57, 58, 59, 60, 90 और 91]***

**केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को विस्तारित स्वैच्छया सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन प्राप्त की गई रकम को छूट**

धारा 10 के खंड (10ग) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन स्थापित किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी अन्य कंपनी या किसी प्राधिकरण या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सहकारी सोसाइटी या किसी विश्वविद्यालय या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या किसी प्रबंधन संस्थान के किसी कर्मचारी द्वारा उसकी स्वैच्छया सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त की गई रकम उसकी कुल आय की संगणना में सम्मिलित नहीं की जाती है। यह छूट पांच लाख रुपए तक प्राप्त की गई रकम के लिए उपलब्ध है और यदि संदाय विहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, नियोक्ता द्वारा बनाई गई स्वैच्छया सेवानिवृत्ति स्कीम या स्वैच्छया पृथक्करण की स्कीम के अनुसार किया जाता है।

धारा 10 के खंड (10ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि छूट केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी विस्तारित की जा सके।

यह प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा। तथापि, राज्य सरकार के कर्मचारियों की दशा में, यह संशोधन भूतलक्षी रूप से निर्धारण वर्ष 2001-2002 और पश्चात्वर्ती वर्षों से सुसंगत वर्ष 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा।

***[खंड 5(क)]***

## कर परिवर्जन को नियंत्रित करने के उपाय

### कीमत निर्धारण अंतरण के दुरुपयोग द्वारा कर परिवर्जन को नियंत्रित करने के लिए नया विधान

देश में आर्थिक गतिविधियों में बहुराष्ट्रीय समूहों की बढ़ती हुई भागीदारी ने उसी बहुराष्ट्रीय समूह के दो या दो से अधिक उद्यमियों के बीच किए गए संव्यवहारों से उद्भूत नए और जटिल मुद्दों को उत्पन्न किया है। भारत में कारबार कर रहे ऐसे उद्यमियों द्वारा व्युत्पन्न लाभों को ऐसे अन्तः समूह संव्यवहारों में प्रभारित और संदत्त कीमतों को घटा बढ़ाकर, जिसके कारण कर राजस्वों का क्षय होता है, बहुराष्ट्रीय समूह द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

कानूनी रूपरेखा प्रदान करने की दृष्टि से, जिससे कि भारत में युक्तियुक्त, उचित और साम्यापूर्ण लाभों की संगणना की जा सकती है, ऐसे बहुराष्ट्रीय उद्यमियों की दशा में, आय-कर अधिनियम में नए उपबंध पुरःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ये उपबंध असन्निकट, सहयुक्त उद्यम का अर्थ, अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार का अर्थ, असन्निकट कीमत का अवधारण, अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा सूचना और दस्तावेजों का बनाए रखना, ऐसे संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा लेखापाल की रिपोर्ट देना और उक्त धाराओं में आने वाले कतिपय पदों की परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए, अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहारों से आय की संगणना से संबंधित होंगे।

यह उपबंध करने के लिए धारा 92 के साथ एक नई धारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि किसी अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार से उद्भूत किसी आय की संगणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। यह और उपबंध है कि दो या अधिक सहयुक्त उद्यमियों के बीच आबंटित या प्रभाजित लागत या व्यय असन्निकट कीमत पर होगा।

प्रस्तावित नई धारा 92क और 92ख में "सहयुक्त उद्यम" और "अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार" पदों के अर्थ का उपबंध है जिसके प्रतिनिर्देश से आय की संगणना नई धारा 92 के अधीन की जाती है।

प्रस्तावित नई धारा 92ग असन्निकट कीमत की संगणना के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा यह उपबंध करती है कि अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में, असन्निकट कीमत (क) तुल्य अनियंत्रित कीमत पद्धति; या (ख) पुनः विक्रय कीमत पद्धति; या (ग) लागत धन पद्धति; या (घ) लाभ विभाजन पद्धति; या (ङ) संव्यावहारिक शुद्ध मार्जिन पद्धति; या (च) कोई अन्य पद्धति, जिसे बोर्ड द्वारा विहित किया जाए, द्वारा अवधारित की जाएगी। इनमें से एक पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति होगी जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों द्वारा उस रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, असन्निकट कीमत की संगणना के लिए लागू की जाएगी। ऐसे मामलों में, जहां एक से अधिक कीमत सर्वाधिक उचित पद्धति द्वारा अवधारित की जा सकती है वहां ऐसे मामले में असन्निकट कीमत का ऐसी दो या अधिक कीमतों का अंकगणितीय औसत होगी। नई धारा आगे यह उपबंध करती है कि जहां आय के निर्धारण की किसी कार्रवाई के अनुक्रम के दौरान निर्धारण अधिकारी की, उसके कब्जे में सामग्री या सूचना या दस्तावेज के आधार पर यह राय है कि अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार में प्रभारित कीमत का अवधारण उपधारा (1) और उपधारा (2) के अनुसार, नहीं किया गया है या अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार से संबंधित सूचना या दस्तावेज धारा 92घ की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारिती द्वारा नहीं रखे गए हैं या असन्निकट कीमत की संगणना में प्रयुक्त सूचना या डाटा विश्वसनीय या सही नहीं है या निर्धारिती विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी कोई सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिसे धारा 92घ की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई किसी सूचना द्वारा प्रस्तुत करने की उससे अपेक्षा की गई थी वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उक्त संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत का अवधारण उसके पास उपलब्ध ऐसी सामग्री या जानकारी या दस्तावेज के आधार पर उपधारा (1) और उपधारा (2) के अनुसार कर सकेगा और तद्नुसार, निर्धारिती की कुल आय की संगणना करेगा।

नई धारा 92घ यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार आरंभ किया है, ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा जो बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। बोर्ड नियमों में उस अवधि को भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसमें जानकारी और दस्तावेज प्रतिधारित करना अपेक्षित है। अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान, निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने इस संबंध में जारी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट कोई सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, और ऐसी अवधि को तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

नई धारा 92ङ यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी पूर्व वर्ष के दौरान कोई अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, लेखापाल की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और ऐसी रिपोर्ट विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व विहित प्ररूप या रीति में प्रस्तुत करेगा।

नई धारा 92च प्रस्तावित नई धारा 92, धारा 92क, धारा 92ख, धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92च में प्रयुक्त "लेखापाल", "असन्निकट कीमत", "उद्यम", "विनिर्दिष्ट तारीख" और "संव्यवहार" पदों को परिभाषित करती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बहुराष्ट्रीय उद्यम नई धाराओं की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, आय-कर अधिनियम में धारा 271 का संशोधन करने का और धारा 271कक, धारा 271खक और धारा 271छ अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की दशाओं में और कपट तथा जानबूझकर उपेक्षा के माध्यम से लाभों के न्यून कथन के मामलों में उद्गृहीत की जाने वाली शास्ति के लिए उपबंध किया जा सके।

यह उपबंध करने के लिए धारा 271 की उपधारा (1) में नया स्पष्टीकरण 7 अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि जहां ऐसे निर्धारिती की दशा में जिसने धारा 92ख में परिभाषित अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, वहां धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन कुल आय संगणित करने में कोई रकम जोड़ी जाती है या अननुज्ञात कर दी जाती है, तब इस प्रकार जोड़ी गई या अननुज्ञात की गई रकम आय को व्यपदिष्ट, समझा जाएगा जिसकी बाबत विशिष्टियों को छिपाया गया है या विशिष्टियां प्रस्तुत की गई हैं। तथापि, इस स्पष्टीकरण के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां निर्धारिती निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसे संव्यवहार में प्रभारित या संदत्त कीमत सद्भावपूर्वक और सम्यक् तत्परता से धारा 92ग के अनुसार अवधारित की गई है।

यह उपबंध करने के लिए एक नई धारा 271कक अन्तःस्थापित करने का और प्रस्ताव है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने धारा 92ख में यथा परिभाषित अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, धारा 92घ की उपधारा (1) या उपधारा (2) की अपेक्षानुसार, किसी ऐसी सूचना और दस्तावेजों को रखने या उनका रखरखाव करने में असफल रहता है, निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, शास्ति के रूप में, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक ऐसे अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करेगा।

यह उपबंध करने के लिए एक नई धारा 271खक अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 92ङ की अपेक्षानुसार लेखापाल की रिपोर्ट देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति एक लाख रूपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा।

यह उपबंध करने के लिए नई धारा 271छ अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने धारा 92घ की उपधारा (3) के अधीन अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, कोई ऐसी सूचना या दस्तावेज देने में असफल रहता है, निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का, शास्ति के रूप में संदाय करेगा।

यह उपबंध करने के लिए धारा 273ख का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 271कक, 271खक और 271छ के अधीन शास्तियां तब अधिरोपणीय नहीं होगी यदि निर्धारिती यह साबित कर देता है कि ऐसी असफलताओं के लिए युक्तियुक्त कारण था।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

***[खंड 44, 80, 82, 83, 85 और 88]***

**प्रतिभूतियों तथा यूनिटों में कतिपय संव्यवहारों द्वारा अल्पकालिक हानियों के सृजन को नियंत्रित करने के उपाय**

धारा 94 में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन ऐसी प्रतिभूतियों के विक्रय और क्रय के संव्यवहारों को, जिनके परिणामस्वरूप ऐसी प्रतिभूतियों की बाबत ब्याज और लाभांश ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा रहा है जो प्रतिभूतियों का स्वामी नहीं है, की अवहेलना की जाएगी और प्रतिभूतियों से ब्याज का लाभांश स्वामी की कुल आय में सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित है। यह उल्लेख किया गया है कि प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, जिसमें साम्योन्मुखी परस्पर निधि की यूनिट भी है, अल्पकालिक हानियां सृजित करने के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। ये हानियां अन्य आय के प्रति मुजरा है और इस प्रकार करदाता को अनाशयित फायदा प्रोद्भूत होता है। यह पद्धति "लाभांश विभाजन" के नाम से लोकप्रिय है जिसे ऐसे कर की, जो करदाताओं द्वारा अन्यथा संदेय होता है, कटौती करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जा रहा है।

उक्त धारा में यह उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा (7) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि जहां कोई व्यक्ति प्रतिभूतियों या यूनिट की बाबत आय के लाभांश या वितरण की घोषणा के लिए नियत रिकार्ड तारीख से पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर प्रतिभूतियां या यूनिट क्रय करता है या अर्जित करता है और उसे ऐसी रिकार्ड तारीख के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर उसका विक्रय या अन्तरण और प्राप्त या प्राप्य लाभांश या आय से छूट प्राप्त है वहां ऐसे क्रय या विक्रय से होने वाली हानि, यदि कोई हो, को ऐसे व्यक्ति के कर से प्रभार्य आय की संगणना करने में उस सीमा तक हिसाब में नहीं लिया जाएगा जब तक ऐसी हानि ऐसे लाभांश या आय की रकम से अधिक नहीं है।

"रिकार्ड तारीख" और "यूनिट" पदों की परिभाषाओं का उपबंध किए जाने का भी प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन, 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 45]***

## सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण के लिए उपाय

### मुक्त व्यापार क्षेत्र, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यातोन्मुख यूनिटों में उपक्रमों से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 10क के अधीन, मुक्त व्यापार क्षेत्रों में नए स्थापित उपक्रम, दस वर्ष की अवधि के लिए कर से छूट के हकदार है। उसी प्रकार, आय-कर अधिनियम की धारा 10ख नए स्थापित शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों की बाबत दस वर्ष की अवधि के लिए कर छूट के लिए उपबंध करती है। वित्त अधिनियम, 2000 ने आय-कर अधिनियम की धारा 10क और 10ख को प्रतिस्थापित किया है। धारा 10क और 10ख के नए प्रतिस्थापित उपबंध उस रीति में दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए उत्पादों या वस्तुओं या चीजों या कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विनिर्माण में लगे हुए किसी उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न कारबार के लाभों और अभिलाभों की कटौती के लिए यह उपबंध करते हैं कि कटौतियां पश्चात्वर्ती अवधि के दौरान समाप्त हो जाएंगी।

यह स्पष्ट करने के लिए विधेयक "निर्यात आवर्त" की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है कि निर्यात लाभों पर आनुपातिक कटौती के कार्यकरण का अर्थ उपक्रम के निर्यात लाभ से है न कि सम्पूर्ण कारबार से और यह और स्पष्ट करने के लिए कि मुक्त व्यापार क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र में संपरिवर्तन की दशा में, दस वर्ष की अवधि उस तारीख से संगणित की जाएगी जिससे यूनिट वस्तुओं या चीजों या कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन पहली बार शुरु किया गया था।

प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक होने के कारण, 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होंगे, और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

यह विधेयक उस उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव करता है जिसमें घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए विक्रयों पर लाभ की कटौती के लिए उपबंध है।

प्रस्तावित संशोधन निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रभावी होगा।

***[खंड 6 और 7]***

**लाटरी, वर्ग पहेली आदि से जीत पर कर**

धारा 115खख के खंड (i) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी लाटरी या वर्ग पहेली या दौड जिसके अंतर्गत घुडदौड़ भी है (जो घुडदौड़ के घोड़ों को अपने स्वामित्व में रखने और उनके रखरखाव के कार्य से आय नहीं है) या ताश के खेल और सभी प्रकार के खेल या हर प्रकार या प्रकृति का जुआ या दांव से जीत के रूप में कोई आय चालीस प्रतिशत की दर से कर के लिए प्रभार्य है।

सुव्यवस्थीकरण के उपाय के रूप में, यह प्रस्ताव है कि ऐसी जीत पर कर चालीस प्रतिशत से कम करके तीस प्रतिशत किया जाए।

यह स्पष्ट करने के लिए भी प्रस्तावित है कि "लाटरी" के अंतर्गत किसी स्कीम या व्यवस्था के अधीन चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लाट निकालकर या संयोग से या किसी भी अन्य रीति से किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए इनामों से जीत है। यह और स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावित है कि "ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल" के अंतर्गत टेलीविजन या इलेक्ट्रानिक पद्धति पर ऐसा कोई खेल प्रदर्शन, कोई मनोरंजन कार्यक्रम, जिसमें लोग इनाम जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं या कोई अन्य समरूप खेल है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तद्‌नुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

***[खंड 3 और 49]***

**आय-कर अधिनियम की धारा 10खख के उपबंधों का अंतःस्थापन**

आय-कर अधिनियम की धारा 10ख के अधीन नई स्थापित शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम निर्यात लाभ की शतप्रतिशत कटौती के लिए पात्र होंगे। इसे रखे जाने के पूर्व ही, धारा 10ख 1-4-1989 से प्रवृत्त रही है। विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शतप्रतिशत ई ओ यू के लिए कर अवकाश के क्षेत्र को बढ़ाने की दृष्टि से, "निर्माण" पद के लिए एक स्पष्टीकरण वित्त अधिनियम,1994 द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्माण को सम्मिलित करने के लिए अंतःस्थापित किया गया है। इस संबंध में, यह शंका व्यक्त की गई है कि क्या जो कंपनियां डाटा प्रसंस्करण और डाटा प्रबंधन के क्रियाकलाप में लगी है, पूर्वोक्त स्पष्टीकरण में उनका समाधान हो जाता है।

शंकास्पद विषय को स्पष्ट करने की दृष्टि से और केन्द्रीय सरकार की नीति को प्रतिबिंबित करने के लिए धारा 10ख में एक भूतलक्षी संशोधन किया जाना प्रस्तावित है जो वित्त अधिनियम, 2000 में नई धारा 10खख अंतःस्थापित करके इसके संशोधन के पूर्व थी।

यह संशोधन धारा 10ख में उस "निर्माण" पद को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावित है जो वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा प्रतिस्थापन के पूर्व थी जिसमें "इलेक्ट्रानिक डाटा प्रसंस्करण और प्रबंधन" सम्मिलित होगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल,1994 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 1994-95 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 8]***

**धारा 54ज का पारिणामिक संशोधन**

वित्त अधिनियम,2000 नई धारा 54ङग अंतःस्थापित करता है जिसमें कृषि और ग्रामीण वित्त तथा राजमार्ग अवसंरचना पर अनन्य रूप से लक्ष्य करते हुए, चयन बंधपत्र में विनिवेशों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ से छूट प्रदान करने के लिए है। उसी अधिनियम द्वारा धारा 54ड़क और 54ङख के उपबंध लोप किए गए थे। तथापि, धारा 54ज में परिणामिक संशोधन किए जाने के लिए शेष थे।

अतः, धारा 54ङक और धारा 54ङख के निर्देश को हटाकर और धारा 54ङख के निर्देश को अंतःस्थापित करके धारा 54ज का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल,2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2001-2002 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 31]***

**धारा 72क में "औद्योगिक उपक्रम" पद की परिभाषा के लिए उपबंध करना**

धारा 72क की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, आय-कर अधिनियम के अधीन अवक्षयण के लिए हानि और भत्ते को अपास्त करना और अग्रेषित करना किसी औद्योगिक उपक्रम और किसी अन्य कंपनी के पोत के स्वामिस्व वाली कंपनी के समामेलन के मामले में अनुज्ञात किया जाता है। तथापि, "औद्योगिक उपक्रम" पद को उपबंध में परिभाषित नहीं किया गया है। यह इंगित किया गया है कि इस पद का निर्वचन मुकदमेबाजी की विषय-वस्तु हो सकता है।

यह उपबंध करना प्रस्तावित है कि धारा 72क के मुख्य आशय से संगत ऐसी परिभाषा जिसके द्वारा "औद्योगिक उपक्रम" पद से ऐसा कोई उपक्रम है जो माल के विनिर्माण या प्रक्रिया या कंप्यूटर साफ्टवेयर के सन्निर्माण या विद्युत के उत्पादन या वितरण के कारबार या विद्युत के किसी अन्य रूप में, या खनन या पोतों वायुयान या रेल प्रणालियों के सन्निर्माण में लगा हुआ है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल,2000 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2000-2001 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 33]***

**धारा 10 (23छ) में "अवसंरचना सुविधा" की परिभाषा का धारा 80-ठक(4) के समान होना**

धारा 10 के खंड (23छ) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी अवसंरचना पूंजी निधि या किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी के ब्याज, लाभांश (धारा 115-ण में निर्दिष्ट लाभांश से भिन्न) के रूप में कोई आय और किसी अनुमोदित उपक्रम में, जो पूर्णतः किसी अवसंरचना का (i) विकास करने (ii) प्रचालन

और अनुरक्षण करने या (iii) विकास, अनुरक्षण और प्रचालन के कारबार में लगा हुआ है, साम्या या दीर्घकालिक वित्त के रूप में किए गए विनिधान से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ को कुल आय की संगणना करते समय परिकलित नहीं किया जाएगा।

अवसंरचना के विकास के लिए राजवित्तीय प्रोत्साहन का एक पैकेज के रूप में आय-कर अधिनियम में उपबंध किया गया है जिससे कि धारा 80-ठक के अधीन कर-अवकाश अनुज्ञात किया जा सके और धारा 10 (23छ) के अधीन दीर्घकालिक विनिधान से आय को छूट दी जा सके। इस प्रकार, जब कभी अवसंरचना के लिए राजवित्तीय प्रोत्साहनों के विस्तार को धारा 80ठक में संशोधन करके पुनरीक्षित करने का विनिश्चिय किया जाता है तो धारा 10 (23छ) में भी आवश्यक संशोधन अपेक्षित हैं।

अतः, सुव्यवस्थीकरण के एक उपाय के रूप में, यह उपबंध करना प्रस्तावित है कि ब्याज, लाभांश या किसी अवसंरचना पूंजी निधि के या अवसंरचना पूंजी कंपनी के किसी उद्यम या उपक्रम से जो कि धारा 80ठक की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कारबार में पूर्णतः लगे हैं, दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभों से आय कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं की जाएगी। इससे धारा 80ठक में अवसंरचना से संबंधित किसी भावी परिवर्तन के परिणामस्वरूप धारा 10(23छ) में परिणामिक संशोधन की अपेक्षा दूर हो जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

***[खंड 5(छ)]***

**शास्तियों की मात्रा का सुव्यवस्थीकरण ---धारा 271, धारा 271क, धारा 271च, 272क और धारा 272खख**

प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहने पर, आय-कर अधिनियम के अधीन शस्तियां विहित हैं। इनमें से कुछ उपबंधों में शास्ति की न्यूनतम और अधिकतम रकम, जो उद्गृहीत की जा सकेगी, विहित हैं और उद्गृहीत की जाने वाली शास्ति की वास्तविक रकम निर्धारण अधिकारी के स्वविवेक पर छोड़ दी गई है। ऐसे स्वविवेक की उपेक्षा करने की दृष्टि से, परिभाषा द्वारा किन्तु युक्तियुक्त रकम के रहते हुए, इन उपबंधों में विहित शास्ति की रकम को प्रतिस्थापित करना प्रस्तावित है।

तद्नुसार, यह प्रस्तावित है --

(i) निर्धारण प्रक्रियाओं के क्रम में जारी कतिपय सूचनाओं या निदेशों के अनुपालन में चूक से संबंधित धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ii) को संशोधित करना है ताकि ऐसी प्रत्येक चूक के लिए एक हजार रुपए से पच्चीस हजार रुपए की रेंज की राशि की विद्यमान शास्ति की बजाए, ऐसी प्रत्येक चूक के लिए दस हजार रुपए की शास्ति की नियत रकम का उपबंध किया जा सके;

(ii) उन कुछ व्यक्तियों की ओर से चूक के संबंध में धारा 271क का संशोधन करना, जो विहित लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों को रखे जाने, रखरखाव किए जाने या रोके रखे जाने की वृत्ति या कारबार कर रहे हैं, दो हजार रुपए से एक हजार रुपए तक की राशि की विद्यमान शास्ति की बजाए पच्चीस हजार रुपए की नियत शास्ति की रकम का उद्ग्रहण किया जा सके।

(iii) स्थायी लेखा संख्याक इत्यादि से संबंधित उपबंधों के अनुपालन में प्रश्नों का उत्तर देने, लेखा पुस्तकों को प्रस्तुत करने की चूक से संबंधित धारा 272क(1) का संशोधन करना, ताकि प्रत्येक ऐसी त्रुटि या चूक के लिए पांच हजार रुपए से दस हजार रुपए तक की राशि की विद्यमान शास्ति की बजाए प्रत्येक ऐसी त्रुटि या चूक के लिए दस हजार रुपए की शास्ति की नियत रकम के लिए उपबंध किया जा सके।

(iv) कर कटौती लेखा संख्यांक या कुछ दस्तावेजों में ऐसी संख्या को दर्शित करने के लिए चूक किए जाने से संबंधित धारा 272खख का संशोधन करना ताकि शास्ति बढ़ाने के लिए विद्यमान शास्ति, जिसे पांच हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, के संबंध में शास्ति को बढ़ाया जा सके और दस हजार रुपए की राशि की शास्ति की नियत रकम का उद्ग्रहण करने के लिए उपबंध किया जा सके।

कतिपय अवधियों के भीतर आय की विवरणी को प्रस्तुत किए जाने में चूक के लिए विहित शास्ति की रकम को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व धारा 139(1) के अधीन यथाअपेक्षित आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए शास्ति और सम्यक् तारीख के पूर्व धारा 139(1) के परंतुक के अधीन क्रमशः, एक हजार रुपए से पांच हजार रुपए और पांच हजार रुपए से दस हजार रुपए बढ़ाने के लिए धारा 271च का संशोधन करना प्रस्तावित है।

ये प्रस्तावित संशोधन, 1 जून,2001 से प्रभावी होंगे।

***[खंड 80,81,84,86 और 87]***

**इलेक्ट्रानिक अभिलेख आदि को सम्मिलित करने के लिए "लेखा बहियों" और "दस्तावेज" को परिभाषित करना**

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000 के पारित होने के साथ तद्नुसार आय-कर अधिनियम की धारा 2 में "बहियां या लेखा बहियां" और "दस्तावेज" की परिभाषा को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जो निम्न प्रकार हैः

"बहियां/लेखा बहियां " में खाते, दिवस बही, रोकड़ बही, लेखा बही और अन्य बहियां आदि सम्मिलित हैं चाहे उन्हें लिखित रूप में या फ्लापी डिस्क में भंडारित डाटा के प्रिंट आउट या इलेक्ट्रो मैगनेटिक डाटा भंडारण युक्ति के किसी रूप में रखा गया हो;

"दस्तावेज" में कोई ऐसा इलेक्ट्रानिक अभिलेख सम्मिलित है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000 की धारा 2 के खंड(न) में यथा परिभाषित है।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून,2001 से प्रभावी होगा।

***[खंड 3]***

**ब्लाक अवधि की परिभाषा का सुव्यवस्थीकरण**

तलाशी या अध्यपेक्षा के मामलों में निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 158ख, के खंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन "ब्लाक अवधि" से उस पूर्व वर्ष से पहले दस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष अभिप्रेत है जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी की गई थी या धारा 132क के अधीन अनुरोध किया गया था और वह वर्ष सम्मिलित है जिसमें, यथास्थिति, ऐसी तलाशी के प्रारंभ की तारीख की अवधि तक या ऐसे अनुरोध की तारीख को तलाशी की गई थी या उसका अनुरोध किया गया था।

पुनर्निर्धारण कार्रवाहियां इत्यादि आरंभ करने के लिए धारा 148 के अधीन सूचना के जारी होने के लिए अधिकतम समय की अवधि को दस वर्ष से कम करके छह वर्ष, करने के लिए धारा 149 में प्रस्तावित संशोधन के साथ, "ब्लाक अवधि" की परिभाषा को उस पूर्व अवधि के पूर्व छह निर्धारण वर्ष से सुसंगत

पूर्व-वर्षों से समाविष्ट अवधि जिसमें तलाशी की गई थी या अनुरोध किया गया था और, यथास्थिति, तलाशी या अनुरोध के वर्ष में ऐसी तलाशी के प्रारंभ की तारीख की अवधि तक या ऐसे अनुरोध की तारीख के अर्थ में संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून,2001 से प्रभावी होगा और उस तारीख को या उसके पश्चात् आरंभ की गई तलाशियों और की गई अध्यपेक्षा के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 61]***

**विवरणी फाइल करने की नियत तारीखों का सुव्यवस्थीकरण किया जाना**

धारा 139 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, आय-कर की विवरणी फाइल करने के लिए सम्यक् तारीख कंपनी की दशा में, निर्धारण वर्ष की तारीख 30 नवंबर विनिर्दिष्ट की गई है और जहां निर्धारिती कंपनी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति है वहां सम्यक् तारीख निम्नलिखित रूप में विनिर्दिष्ट है --

(क) उस दशा में, जहां निर्धारिती के लेखा संपरीक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं या जहां किसी लेखापाल की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है वहां निर्धारण वर्ष की तारीख 31 अक्तूबर होगी।

(ख) उस दशा में, जहां कुल आय में ऐसे कारबार या वृत्ति से ऐसी आय सम्मिलित है जो ऊपर (क) के अधीन नहीं आती है वहां निर्धारण वर्ष की तारीख 31 अगस्त होगी।

(ग) किसी अन्य मामले में निर्धारण वर्ष की तारीख 30 जून होगी।

ऐसे सभी मामलों में लेखा वर्ष, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। तीन या चार मास की अवधि (कंपनी की दशा से भिन्न) लेखाओं को अंतिम रूप देने और विवरणी फाइल किए जाने के लिए पर्याप्त है अतः सम्यक् तारीखों की संख्या चार से कम करके दो करना प्रस्तावित है और यह उपबंध करना कि कंपनी की दशा में, निर्धारण वर्ष की 31 अक्तूबर विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख होगी। धारा 139 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट कंपनी से भिन्न व्यक्ति के मामले में, निर्धारण वर्ष की 31 अक्तूबर और कोई अन्य निर्धारिती की दशा में, निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई विवरणी फाइल करने के लिए सम्यक् तारीख होगी।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल,2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2001-2002 के संबंध में और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 54]***

**लेखाओं को संपरीक्षित कराने और ऐसे सुव्यवस्थित किए जाने वाले संपरीक्षित लेखे के लिए निर्दिष्ट तारीख**

आय-कर अधिनियम की धारा 44कख के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (ii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लेखा के संबंध में, "विनिर्दिष्ट तारीख" से निर्धारण वर्ष 30 नवम्बर की तारीख अभिप्रेत है जहां निर्धारिती कोई कंपनी है, और अन्य मामले में निर्धारण वर्ष की तारीख 31 अक्तूबर है।

आय-कर की विवरणियों को फाइल करने के लिए सम्यक तारीखों के प्रस्तावित पुनरीक्षण के अनुसार, निर्धारितियों के विभिन्न वर्गों द्वारा संपरीक्षित लेखाओं को प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीखों को पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित है और यह उपबंध करना कि कंपनी की दशा में, निर्धारण वर्ष की 31 अक्तूबर विनिर्दिष्ट तारीख होगी और कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में, निर्धारण वर्ष की तारीख 31 जुलाई होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2001-2002 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 26]***

**कुछ अमूर्त पूंजी आस्तियों के अर्जन की लागत के लिए उपबंध करना**

आय-कर अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि किसी अमूर्त पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत, कारबार के गुडविल या किसी वस्तु के विनिर्माण, उत्पाद या प्रक्रिया के अधिकार या चीज, अभिधृति अधिभार, स्टेज कैरिज परमिट या लूम घंटे उस दशा में क्रय कीमत के होंगे, यदि आस्ति को पूर्व स्वामी से क्रय किया जाता है और यह अन्य मामलों में शून्य होगा । यह इंगित किया गया है कि ब्रांड नाम या व्यापार चिह्न जैसी अमूर्त आस्तियों पर कारबार के गुडविल के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

अतः, उपधारा (2) के खंड (क) का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि कारबार से जुड़े व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम के संबंध में अर्जन की लागत की उस दशा में, क्रय कीमत के रूप में ली जाएगी जहां आस्ति के पूर्व स्वामी से क्रय किया जाता है, और अन्य मामले में शून्य होगी।

यह संशोधन तारीख 1 अप्रैल,2002 से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 32]***

**गृह संपत्ति से आय के संबंध में उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण**

आय-कर अधिनियम की धारा 23 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, उन कतिपय परिस्थितियों में, जिसमें संपत्ति किराए पर दी जाती है, या स्वयं अधिभोग में है या खाली है या भागतः खाली है, भागतः किराए पर दी जाती है या वर्ष के भाग के लिए किराए पर दी जाती है, संपत्ति के वार्षिक मूल्य का अवधारण करने के लिए है। इस प्रकार अवधारित वार्षिक मूल्य, धारा 24 के अधीन अनुज्ञेय कटौतियों के अधीन है जिसमें किराए पर दी गई संपत्ति और उस किराए के मद्दे, जिसको वसूल नहीं किया जाता है, की बाबत वर्ष के किसी भाग के लिए रिक्ति के कारण कटौतियां सम्मिलित हैं। इस धारा में वर्षों से अनेक संशोधन किए जाने से ये उपबंध बिल्कुल जटिल हो गए हैं और करदाता के लिए इन्हें समझना कठिन है।

इसलिए, उक्त धारा का रखा जाना प्रस्तावित है ताकि रिक्ति और वसूल न किए गए किराए के कारण वार्षिक मूल्य की संगणना में कटौतियां अनुज्ञात करने के पश्चात्, प्रस्तावित नई धारा में विनिर्दिष्ट कुछ परिस्थितियों में वार्षिक मूल्य के सरलीकृत अवधारण के लिए उपबंध किया जा सके।

धारा 24 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कुछ मामलों में "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय मरम्मत या संग्रहण, प्रभार अर्जन के

लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज, सन्निर्माण, मरम्मत, नवीकरण या संपत्ति का पुनर्निर्माण और बीमा प्रीमियम, भूतल किराया वार्षिक प्रभार आदि की बाबत वार्षिक मूल्य की एक चौथाई की कटौती किए जाने के पश्चात् संगणित की जाती है।

उक्त धारा को रखा जाना प्रस्तावित है ताकि केवल दो कटौतियां, अर्थात् वार्षिक मूल्य के तीस प्रतिशत के बराबर रकम और सम्पत्ति के अर्जन, सन्निर्माण, मरम्मत, नवीकरण या पुनर्निर्माण के लिए उधार ली गई पूंजी पर संदत्त ब्याज के लिए उपबंध किया जा सके।

आय-कर अधिनियम में नई धारा 25कक के अंतःस्थापन और धारा 25, धारा 25क, धारा 25ख, धारा 27 और धारा 80छछ के संशोधन द्वारा पारिणामिक संशोधन किया जाना भी प्रस्तावित है।

ये संशोधन 1 अप्रैल,2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के सबंध में लागू होंगे।

***[खंड 14,15,16,17,18,19,20 और 38]***

**आय-कर दाता से संक्षिप्त स्रोत पर कर का संग्रहण**

आय-कर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन आय-कर दाता को कर की बाबत किसी व्यतिक्रम में निर्धारिती समझा जाएगा यदि वह कटौती नहीं करता है या कटौती के पश्चात् अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन यथाअपेक्षित कर का संदाय करने में असफल रहता है। उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति, उस तारीख से जिसको ऐसा कर उस तारीख को कटौती योग्य था जिसको ऐसा कर वास्तविक रूप से संदत्त है, ऐसे कर की रकम पर विहित दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए भी दायी होगा।

विधेयक यह स्पष्ट करने के लिए है कि उपधारा (1) और उपधारा (1क) के उपबंध वहां लागू होंगे जहां ऐसा व्यक्ति, संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1962 से प्रभावी होगा।

***[खंड 68]***

**प्रतिदाय रोके जाने की शक्ति का वापस लिया जाना**

आय-कर अधिनियम की धारा 241 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, निर्धारण अधिकारी, मुख्य आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, निर्धारिती को देय किसी रकम के प्रतिदाय को ऐसे समय तक, जो मुख्य आयुक्त या आयुक्त अवधारित करे, उक्त धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन रोक सकेगा यदि प्रतिदाय के अनुदान से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

सुव्यवस्थीकरण के उपाय के रूप में, विधेयक उक्त धारा का लोप किए जाने का प्रस्ताव करता है ताकि प्रतिदाय रोके रखने के लिए निर्धारण अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों को वापस लिया जा सके।

यह संशोधन 1 जून,2001 से प्रभावी होगा।

***[खंड 75]***

**कुछ मामलों में प्रभार्य ब्याज से संबंधित उपबंधों का उपांतरण**

आय-कर अधिनियम की धारा 234क और धारा 234ख के विद्यमान उपबंधों के अधीन, क्रमशः, आय की विवरणी प्रस्तुत करने और अग्रिम कर के संदाय में चूक के लिए ब्याज "उद्‌गृहीत" किया जाता है। हाल ही में, यह मुद्दा कि क्या वापस की गई आय या निर्धारित की गई आय पर कर के आधार पर इन धाराओं के अधीन प्रभार्य ब्याज मुकदमेबाजी की विषय वस्तु हो गया है।

यह स्पष्ट करना प्रस्तावित है कि निर्धारिती, निर्धारित आय पर कर के प्रति निर्देश से उक्त धाराओं के अधीन ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा न कि वापस की गई आय पर । यह और स्पष्ट करना प्रस्तावित है कि धारा 140क के प्रयोजनों के लिए, धारा 234क और धारा 234ख के अधीन संदेय ब्याज की संगणना वापस की गई रकम, कर के प्रति निर्देश से की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1989 से प्रभावी होंगे।

***[खंड 56,72 और 73]***

**निर्धारिती से प्रभार्य ब्याज का सुव्यवस्थीकरण**

विद्यमान उपबंधों के अधीन, विभिन्न व्यतिक्रमों के लिए निर्धारितियों से प्रभार्य ब्याज की दरों में प्रतिवर्ष 15% से 24% का अंतर है। इन दरों का सुव्यवस्थीकरण किए जाने के लिए विधेयक, विभिन्न व्यतिक्रमों के लिए 15% प्रतिवर्ष की समान दर विहित करने का प्रस्ताव करता है। तदनुसार, आय-कर अधिनियम की धारा 115त, धारा 115ध, धारा 158खचक(1), धारा 206ग(7), 220(2), 234क, 234ख और 234ग के अधीन प्रभार्य ब्याज की बाबत प्रत्येक मास या उस मास के भाग के लिए 1.25% करने के लिए, यथास्थिति, प्रत्येक मास या उस मास के किसी भाग के लिए 1.5% या 2% की दर से कमी करने का प्रस्ताव है। यह और प्रस्तावित है कि धारा 201 की उपधारा (1क) के अधीन प्रभार्य ब्याज की बाबत प्रतिवर्ष 18% कमी करके 15% किया जाए।

इसी तरह के संशोधन धन-कर अधिनियम की धारा 17ख और धारा 31 और व्यय-कर अधिनियम की धारा 14 में भी करना भी प्रस्तावित है।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून,2001 से प्रभावी होंगे।

***[खंड 51,53,62,68,69,70,72,73,74,92,93 और 95]***

**निर्धारिती को संदेय ब्याज से संबंधित उपबंधों का उपांतरण**

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक मास या उस मास के किसी भाग के लिए 1% या प्रतिवर्ष 12% की दर पर निर्धारिती को ब्याज संदेय है।

विधेयक, ब्याज की उपरोक्त दर को, यथास्थिति, प्रत्येक मास या उस मास के किसी भाग के लिए एक प्रतिशत से तीन बटा चार प्रतिशत और प्रतिवर्ष 12% से 9% कम करने के लिए है। तदनुसार, आय-कर अधिनियम की धारा 244क और दूसरी अनुसूची के नियम 68क का उपनियम (3) को संशोधित करना प्रस्तावित है।

इसी तरह धन-कर अधिनियम की धारा 34क में भी संशोधन प्रस्तावित है।

प्रस्तावित संशोधन, 1 जून,2001 से प्रभावी होंगे।

***[खंड 76,89 और 94]***

**अवक्षयण भत्ते से संबंधित उपबंधों का उपांतरण**

आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, समाविष्ट नहीं किए गए अवक्षयण को अग्रनीत और उसका मुजरा करना 8 निर्धारण वर्षों के लिए अनुज्ञात है।

पूंजी आस्तियों को प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त निधियां संरक्षित करने में निर्धारिती को समर्थ बनाने की दृष्टि से,विशेषतः ऐसे युग में जहां अप्रयुक्तता बहुधा हो जाती है, विधेयक, समाविष्ट नहीं किए गए अवक्षयण के अग्रनयन और मुजरा के लिए 8 वर्ष के निर्बंधन को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित है।

आगे यह स्पष्ट करना प्रस्तावित है कि किसी पूर्व वर्ष के लिए कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभों की गणना करते समय धारा 32 के अधीन अवक्षयण की कटौती आज्ञापक होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल,2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

***[खंड 21]***

**स्वैच्छया सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन उपगत व्यय का क्रमिक अपाकरण**

विधेयक, धारा 10 के खंड (10ग) के अधीन विहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, बनाई गई स्वैच्छया सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन, किन्हीं कर्मचारियों को उनकी स्वैच्छया सेवानिवृत्ति पर उपगत व्यय के क्रमिक अपाकरण का उपबंध करने हेतु नया उपबंध अंतःस्थापित करने के लिए है। कटौती पांच वर्ष की अवधि तक अनुज्ञात की जाएगी।

संशोधन 1 अप्रैल,2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के सबंध में लागू होगा।

***[खंड 24]***

**कतिपय दायित्वों की बाबत कटौती से संबंधित उपबंधों का उपांतरण**

आय-कर अधिनियम की धारा 43ख के विद्यमान उपबंधों के अधीन, निर्धारिती द्वारा संदेय कतिपय रकम की कटौती उस पूर्व वर्ष की, जिसमें राशि वास्तविक रूप से संदत्त की गई है, आय की संगणना करते समय अनुज्ञात की जाती है।

यह उपबंध करने के लिए उक्त धारा को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है कि किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोजक के खाते पर किसी छुट्टी के बदले संदेय किसी राशि को केवल वास्तविक संदाय के आधार पर ही अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल,2002 को प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और उसके पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 25]***

**कतिपय व्यक्तियों की लेखा परीक्षा से संबंधित उपबंधों का उपांतरण**

आय-कर अधिनियम की धारा 44कख के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कारबार या वृत्ति चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति धारा 288 (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी "लेखाकार" द्वारा अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराने के लिए अपेक्षित है, यदि उसका कुल विक्रय, आवर्त या कराबार या वृत्ति में सकल प्राप्तियां कतिपय सीमाओं से अधिक हैं या विहित उपधारित लाभों की अपेक्षा लाभ कम हैं। ऐसे व्यक्ति से विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व किसी लेखापाल द्वारा उसके लेखाओं की संपरीक्षा कराना और ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्‌ रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित की गई ऐसी परीक्षा रिपोर्ट विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उक्त धारा का दूसरा परंतुक यह अधिकथित करता है कि जहां कोई ऐसा व्यक्ति किसी अन्य विधि के द्वारा या इसके अधीन अपने संपरीक्षित लेखाओं को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है, वहां उक्त धारा के उपबंधों का अनुपालन पर्याप्त होगा यदि ऐसा व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व ऐसी अन्य विधि के अधीन अपने लेखाओं को संपरीक्षित कराता है और ऐसी अन्य विधि के अधीन यथा अपेक्षित संपरीक्षा की रिपोर्ट और उक्त धारा के विहित प्ररूप में एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

उक्त धारा में यह उपबंध करने के लिए संशोधन करना प्रस्तावित है कि उन मामलों में, जहां किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन लेखाओं की परीक्षा कराना अपेक्षित है, वहां उक्त धारा के उपबंधों का अनुपालन पर्याप्त होगा यदि विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व ऐसी विधि के अधीन कोई व्यक्ति लेखाओं की संपरीक्षा कराता है और उक्त धारा के अधीन विहित प्ररुप में लेखापाल की एक अतिरिक्त रिपोर्ट ऐसी विधि द्वारा उस तारीख को प्रस्तुत करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2001-2002 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 26]***

**स्टाक विकल्पों की बाबत स्पष्टीकरण**

वित्त अधिनियम,2000 द्वारा किए गए संशोधनों से पूर्व, स्टाक विकल्पों के दो प्रक्रमों पर कर लगाया गया था। पहला, प्रयुक्त की तारीख पर प्रयुक्त कीमत और उचित बाजार -मूल्य के बीच अंतर दर्शाने वाली रकम पर परिलब्धि के अनुसार और दूसरा पूंजी अभिलाभों के रूप में है। वित्त अधिनियम,2000 में विक्रय के समय पूंजी अभिलाभ के रूप में केवल एक बार कर स्टाक का विकल्प है।

विधेयक यह स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावित है कि उन मामलों में जहां कर उद्‌गृहीत किया गया है वहां कर्मचारियों द्वारा विकल्प का प्रयोग करते समय परिलब्धियों के अनुसार, विकल्प के प्रयोग के समय उनका उचित बाजार मूल्य पूंजी अभिलाभ के समय कार्यकरण के लिए शेयर की लागत होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल,2001 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2001-2002 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 13, 27 और 28]***

**कतिपय विनिर्दिष्ट विनिधानों से ब्याज की कटौती से संबंधित उपबंधों का उपांतरण**

आय-कर अधिनियम,1961 की धारा 80ठ की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कतिपय विनिर्दिष्ट निक्षेपों और प्रतिभूतियों, आदि से व्युत्पन्न आय की बाबत व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब होते हुए भी, किसी निर्धारिती की सकल कुल आय की गणना में कटौती अनुज्ञात है। तथापि, कटौती 12,000 रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है। 3,000 रुपए की अनन्य रकम तब प्राप्त की जा सकती है यदि यह केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी प्रतिभूति पर ब्याज से व्युत्पन्न हो।

विधेयक में 12,000 रुपए की सीमा को घटाकर 9,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। सरकार के लिए पृथक्‌ रूप से 3000 रुपए की उपलब्ध कटौती का लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल,2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 42]***

**वेतन और परिलब्धियों से संबंधित उपबंधों का उपांतरण**

धारा 16 के विद्यमान उपबंधों के अधीन वेतन से कतिपय कटौती अनुज्ञात है। मनोरंजन भत्ता या वेतन का एक बटा पांच भाग या 7500 रुपए, जो भी कम हो, की सीमा तक कटौती ऐसे निर्धारिती को अनुज्ञात है जो 1 अप्रैल, 1955 से उसी नियोजन में लगातार मनोरंजन भत्ता प्राप्त कर रहा है। धारा 17 के उपबंधों के अधीन ऐसे कर्मचारियों को, जो चौबीस हजार रुपए से अधिक धनीय वेतन प्राप्त कर रहे हैं, परिलब्धियां कराधेय हैं और ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट कर्मचारी जो निदेशक या सारवान्‌ हित के व्यक्ति हैं। विद्यमान उपबंधों के अधीन कतिपय परिलब्धियां कराधेय रूप में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

विधेयक में धारा 16 के अधीन ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जो 1 अप्रैल, 1955 से लगातार नियोजन में है, मनोरंजन कर की कटौती से संबंधित उपबंध का लोप करने का प्रस्ताव है। ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिनके धनीय वेतन का संदाय पचास हजार रुपए से अधिक है, परिलब्धियों पर कर लगाने की सीमा के पुनरीक्षण का प्रस्ताव है। संदेह को दूर करने के लिए, विधेयक में आय-कर नियम में विहित रीति से निश्चित की जाने वाली परिलब्धियों के ब्यौरे दिए जाने का प्रस्ताव है। इसमें "वेतन के स्थान पर लाभ" में एकमुश्त प्राप्त राशि या अन्यथा, नियोजन से पूर्व या नियोजन समाप्ति के पश्चात्‌ कराधान के लिए सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है।

वेतन के स्थान पर परिलब्धि और लाभ का ब्यौरा फाइल करने की जिम्मेदारी "वेतन" शीर्ष के अधीन आय संदाय करने वाले व्यक्ति पर बाध्यकर होगी। इसके अनुपालन में असफल रहने के परिणामस्वरूप धारा 272क के अधीन शास्ति का उपबंध किया गया है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 12, 13, 63 और 86]***

**कराधेय आय के संबंध में छूट आय की बाबत उपगत व्यय के लिए कोई कटौती न करना**

कुल आय की संगणना करते समय कतिपय आय सम्मिलित किए जाने के योग्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन इन्हें छूट प्राप्त है। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ऐसी छूट प्राप्त आय की बाबत कटौती का दावा किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि कतिपय-प्रवर्ग की आय को छूट के माध्यम से कर छूट प्रोत्साहन कराधेय आय के सबंध में, छूट प्राप्त आय उपार्जित करने के लिए उपगत व्यय के विकलन के द्वारा गैर-छूट प्राप्त आय पर संदेय कर को कम करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह कराधान के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है जिसके द्वारा केवल शुद्ध आय, अर्थात्‌ सकल आय ऋण व्यय पर ही कर लिया जाता है। इसी अनुरूपता के अनुसार, शुद्ध आय की बाबत भी छूट है। केवल ऐसे उपगत व्ययों को अनुज्ञात किया जा सकता है जो कराधेय आय के उपार्जन की सीमा तक हैं।

अतः, एक नई धारा अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रारंभ से ही विधान के आशय को स्पष्ट किया जा सके और आय के संबंध में निर्धारिती द्वारा उपगत किसी ऐसे व्यय, जो आय-कर अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं बनता है, की बाबत कटौती नहीं की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल,1962 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 1962-1963 और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 11]***

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधि के यूनिटों से प्राप्त आय में छूट**
**जिसमें ऐसे यूनिटों के अंतरण से उद्‌भूत आय सम्मिलित नहीं है**

वित्त अधिनियम, 1999 धारा 10 के खंड (33) को संशोधित करता है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों और पारस्परिक निधि की यूनिटों की बाबत प्राप्त आय के रूप में किसी भी आय को कुल आय की संगणना करते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

धारा 10 के खंड (33) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के उपबंधों का ऐसी रीति से निर्वचन किया जा रहा है जिससे कि यूनिट धारकों द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधियों की बाबत प्राप्त आय के रूप में लेनदेन द्वारा द्वितीय बाजार में भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि के यूनिटों के विक्रय से उद्‌भूत पूंजी अभिलाभ की बाबत छूट का दावा किया जा सके।

यह स्पष्ट करने के लिए धारा 10 (33) का संशोधन करना प्रस्तावित है कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात किसी यूनिट धारकों द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधियों अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट या ऐसी पारस्परिक निधि से भिन्न व्यक्तियों के अंतरण से उद्‌भूत किसी आय पर लागू नहीं होगी।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2000 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2000-2001 और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 5 (ज)]***

**पूर्त न्यासों से संबंधित उपबंधों का उपातंरण**

धारा 11 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी न्यास के अधीन और पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के पूर्णतः और विशेषकर धारित संपत्ति से आय को आय-कर के संदाय से छूट है। यह छूट केवल इस बात तक सीमित है कि ऐसी आय का, जो पूर्णतया धार्मिक प्रयोजनों के लिए लागू होती है या ऐसे प्रयोजनों के लिए संचित की गई है, भाग धारा 11(2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होता है। ये शर्तें, अन्य बातों के साथ, यह विनिर्दिष्ट करती हैं कि वह अधिकतम अवधि , जिसके लिए ऐसी आय संचयित की जा सकती है,दस वर्ष है।

धारा 11 की उपधारा 2 के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे कि उस अधिकतम अवधि को, जिसके लिए संचयित किसी आय की बाबत संचयन पांच वर्ष के लिए अनुज्ञात है या 1 अप्रैल, 2001 के पश्चात्‌ अपास्त कर दिया जाता है।

पूर्त न्यासों के क्रियाकलापों में पारदर्शिता का संवर्धन करने के लिए धारा 12क को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 11 के अधीन छूट पूर्त या धार्मिक न्यासों को तभी अनुज्ञात होगी यदि वे स्थानीय प्रमुख समाचार पत्र में अपने लेखे प्रकाशित करवाएं और ऐसे समाचारपत्र की एक प्रति आय-कर की विवरणी के साथ संलग्न हो। छोटे न्यासों की कठिनाइयों को कम करने के लिए यह प्रस्ताव है कि यह अपेक्षा उन्हीं न्यासों को लागू हो जिनकी कुल आय धारा 11 और धारा 12 के अधीन उपलब्ध छूट को प्रभावी करने से पहले सुसंगत पूर्व वर्ष में दस लाख रूपए से अधिक हो।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

***[खंड 9 और 10]***

धारा 10 के खण्ड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) और उपखंड (viक) के विद्यमान उपबंधों के अधीन निम्नलिखित निकायों को आय-कर से छूट प्राप्त हैः-

(क) पूर्त प्रयोजनों के लिए गठित अधिसूचित निधि या संस्था;

(ख) पूर्णतया सार्वजनिक धार्मिक प्रयोजनों के लिए अधिसूचित न्यास या पूर्णतया सार्वजनिक धार्मिक प्रयोजनों के लिए अधिसूचित संस्था;

(ग) अनुमोदित विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था जो कि केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अस्तित्व में हैः और

(घ) अनुमोदित अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था जो कि केवल परोपकारी प्रयोजनों के लिए अस्तित्व में है।

उपर्युक्त खंड का तीसरा परन्तुक यह उपबंध करता है कि पूर्वोक्त निधि या न्यास या संस्था या शैक्षिक या चिकित्सीय संस्था अपनी आय का उपयोग या इसका संचयन उन्हीं प्रयोजनों के लिए पूर्णतया और विशिष्टतया करेंगे जिनके लिए उनकी स्थापना की गई है। ऐसी किसी अधिकतम अवधि का उपबंध नहीं किया गया है जिसके लिए आमदनी का संचयन किया गया हो।

धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परन्तुक को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्थानों द्वारा, यथास्थिति, 1 अप्रैल 2001 के पश्चात्‌ संगृहीत आय के संग्रहण की अधिकतम अवधि केवल पांच वर्ष होगी।

इन निधियों, न्यासों या संस्थाओं के कार्यकलापों में पारदर्शिता का संवर्धन करने के लिए धारा 10(23ग) में आवश्यक संशोधन करना प्रस्तावित है जिससे कि निधि, न्यासों या संस्था से उनके लेखे स्थानीय प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करना अपेक्षित हो और जिसकी एक प्रति छूट के लिए आवेदन या उसके जारी रखने के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित हो। छोटे न्यासों या निधियों या संस्थाओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए यह उपबंध करना प्रस्तावित है कि उपखंड (vi) और (viक) निर्दिष्ट शैक्षिक या चिकित्सीय संस्थाओं को ही लागू हो, जहां पर वार्षिक प्राप्तियां एक करोड़ रुपए से अधिक हों और उपखंड (iv) तथा (v) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, निधियों,न्यासों या संस्थाओं, की दशा में, जिनकी कुल प्राप्तियां दस लाख रुपए से अधिक हो, ऐसी अपेक्षाएं लागू होंगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 5(ङ)]***

उपखंड (vi) और उपखंड (viक) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्थाओं या अस्पतालों या चिकित्सा संस्थाओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि पब्लिक कंपनी के साधारण शेयरों के रूप में उनके बोनस शेयर के रूप में अनुवृद्धि के साथ 1 जून, 1998 को या ऐसी संस्थाओं द्वारा धारित आस्ति में, जो उनके प्रयोजनों के भाग रूप हैं, धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट पद्धतियों में पुनः विनिधान किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[धारा 5 (ङ)]***

## जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि को जारी करने के लिए छूट यदि जोखिम पूंजी निधि के शेयर सूचीबद्ध किए गए हों

जोखिम पूंजी के कराधान की बाबत वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1.4.2001 से आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 10 (23चख) अंतःस्थापित की गई है। धारा यह उपबंध करती है कि जोखिम पूंजी उपक्रमों में विनिधान के लिए निधि जुटाने हेतु जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की कोई भी आय पूर्व वर्ष के लिए आय की संगणना करते समय सम्मिलित नहीं की जाएगी।

धारा 10 (23चख) के स्पष्टीकरण के अनुसार, जोखिम पूंजी उपक्रमों से ऐसी देशी कंपनी अभिप्रेत है जिसने अपने शेयर भारत के मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किए हैं। यदि जोखिम पूंजी उपक्रमों के शेयर स्टाक एक्सचेंज में तत्पश्चात् सूचीबद्ध किए जाते हैं तो जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधियों को इस स्पष्टीकरण के आधार पर कर-छूट समाप्त हो सकेगी यदि उनका विनिधान ऐसे सूचीबद्ध जोखिम पूंजी उपक्रमों में जारी रहता है।

इसलिए, धारा 10 (23चख) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि धारा 10 (23चख) के अधीन छूट के लिए पात्र बने रहेंगे, यदि ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रमों, जिनमें जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि ने प्रारंभिक विनिधान किया है, भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में तत्पश्चात् सूचीबद्ध किए जाते हैं।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2001-2002 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 5(च)]***

## भारतीय यूनिट ट्रस्ट की जोखिम पूंजी स्कीमों को छूट उपलब्ध कराना

धारा 10 के खंड (23चख) के विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान के लिए निधियां जुटाने हेतु स्थापित किसी जोखिम पूंजी कंपनी या किसी जोखिम पूंजी निधि की किसी आय को आय-कर के संदाय से छूट प्राप्त है। जोखिम पूंजी निधि को ऐसी निधि के रूप में परिभाषित किया गया है जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास विलेख के अधीन चलाई जा रही है। चूंकि, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, संसद् के अधिनियम, अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित किया गया है और यह एक ऐसा न्यास नहीं है जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। इसलिए, इस समय भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही जोखिम पूंजी स्कीम, जोखिम पूंजी निधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है।

अतः, धारा 10 के खंड (23चख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बनाई गई जोखिम पूंजी स्कीम को भी धारा 10 (23चख) में जोखिम पूंजी निधि की परिभाषा के अधीन लाया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2001-2002 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[धारा 5(च)]***

## विदेशी वित्तीय संगठन के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का अनुमोदन प्राधिकरण होना

धारा 115कख में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन "विदेशी वित्तीय संगठन से भारत के बाहर किसी ऐसे देश की, जिसने भारत में विनिधान के लिए किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या लोक वित्तीय संस्था या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि के अधीन कोई ठहराव किया है और ऐसे ठहराव का इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदन कर दिया है जिसके लिए विधि के अधीन स्थापित कोई निधि, संस्था, संगम या निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, के अर्थ में परिभाषित किया गया है।

चूंकि, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एक विनियामक प्राधिकरण है। इसलिए, उपरोक्त ठहराव के अनुमोदन के किए सरकार द्वारा प्राप्त किसी आवेदन को इसे निर्दिष्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से, ऊपर उल्लखित निधियों आदि द्वारा भारत में विनिधान के लिए किसी पब्लिक सेक्टर या लोक वित्तीय संस्था या पारस्परिक निधि के साथ किए गए एक ठहराव को अनुमोदन प्रदान करने की बाबत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को प्राधिकरण बनाने का उपबंध प्रस्तावित है।

प्रस्तावित संशोधन 1जून, 2001 से प्रभावी होगा।

***[खंड 46]***

## विदेशी वाणिज्यिक उधार के अधीन शास्तिक ब्याज को 2% तक छूट

आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड 15 का उपखंड (iv) यह उपबंध करता है कि ब्याज के रूप में कतिपय आय पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय की संगणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी। वित्त अधिनियम, 2000 में इस उपखंड में अंतःस्थापित किए गए स्पष्टीकरण 1क का यह उपबंध करने के लिए है कि "ब्याज" पद के अंतर्गत ऋण के विलंबित संदाय पर या व्यतिक्रम पर संदत कोई ब्याज इसमें सम्मिलित नहीं होगा ताकि ऐसे कर के संदाय को रोके रखने वाले व्यक्ति इसका अभिलाभ न ले सकें।

धारा 10 के खंड 15 के उपखंड (iv) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि संविदाकृत मूल ब्याज दर पर प्रतिवर्ष 2% की दर तक शास्ति या व्यतिक्रम दर पर संदत ब्याज उक्त उपखंड के अधीन छूट के लिए पात्र होगा।

यह प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

***[खंड 5(ख)]***

## किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपस्कर के उपयोग या उपयोग करने के अधिकार के लिए प्रतिफल में स्वामिस्व को सम्मिलित किया जाना

धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन स्वामिस्व के रूप में संदेय आय कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, भारत में प्रोदभूत या उद्भूत समझी जाती है। इस खंड के स्पष्टीकरण 2 में "स्वामिस्व" पद को परिभाषित किया गया है।

भारत द्वारा दोहरे कराधान परिवर्जन करों में यथाप्रयुक्त "स्वामिस्व" पद की परिभाषा में, अन्य बातों के साथ, "औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपस्कर के उपयोग या उपयोग करने के अधिकार के लिए" संदाय सम्मिलित है। वर्तमान में उपरोक्त स्पष्टीकरण में स्वामिस्व की परिभाषा में ये संदाय सम्मिलित नहीं

हैं। फलस्वरूप पट्टे पर दिए जाने वाले औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपस्कर स्रोत देश में केवल कारबार से आय के रूप में कराधेय हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, ऐसे संदायों पर कर को नहीं रोका जाता है क्योंकि करदाता आय-कर अधिनियम में यथा उपबंधित "स्वामिस्व" पद की परिभाषा के अधीन लाभ उठाते हैं चूंकि यह उनके लिए अधिक फायदाप्रद होता है।

अतः, धारा 9 के संशोधन का प्रस्ताव है ताकि धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पस्टीकरण 2 में आए "स्वामिस्व" पद को व्यापक बनाया जा सके जिससे इसकी परिधि में किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपस्कर के उपयोग या उपयोग करने के अधिकार के लिए प्रतिफल में स्वामिस्व को सम्मिलित किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

*[खंड 4]*

**सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के एशियाई संगठन सचिवालय की आय को छूट**

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की एशियाई संगठन सचिवालय, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन एसोसाई-सचिवालय के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, को 1 अप्रैल, 2001 से आरंभ होकर तीन पूर्ववर्ती सुसंगत वर्षों की अवधि के लिए आय को छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के संबंध में लागू होंगे।

*[खंड 5(घ)]*

## मुकदमेबाजी में कमी करने के उपाय

**आयुक्त(अपील) की शक्तियां जिसमें निर्धारण को अपास्त करने की शक्तियां सम्मिलित नहीं हैं**

आय-कर अधिनियम की धारा 251 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां अपील, निर्धारण के आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष की जाती है वहां आयुक्त (अपील) निर्धारण की पुष्टि कर सकेगा, उसे घटा या बढ़ा सकेगा या बातिल कर सकेगा अथवा वह निर्धारण को अपास्त कर सकेगा अथवा उसके द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार, और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात्, जैसी आवश्यक हो, नए सिरे से निर्धारण करने के लिए मामले को पुनर्निर्धारण अधिकारी को लौटा सकेगा।

निर्धारण को शीघ्र ही अंतिम रूप देने में सहायता और मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया से बचने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव है कि धारा 251 का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारण के आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल की जाती है वहां आयुक्त (अपील) निर्धारण को अपास्त नहीं कर सकेगा या निर्धारण नए सिरे से करने के लिए मामला निर्धारण अधिकारी को लौटा सकेगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा। यह 1 जून, 2001 को या इसके पश्चात् आयुक्त (अपील) द्वारा पारित अपीली आदेशों को लागू होगा।

*[खंड 77]*

**यदि अपील कतिपय अवधि के भीतर निपटाई नहीं जाती तो अपील अधिकरण द्वारा अनुदत्त स्थगन आदेशों का अप्रवर्तनीय होना**

धारा 254 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, चार वर्ष की सलाहकारी समय-सीमा अधिकरण द्वारा अपीलों को निपटाने के लिए विहित की गई है। तथापि, बहुत से मामलों में अपील का निपटारा करने तक मांग की वसूली पर अधिकरण द्वारा अनुदत्त स्थगन कई मास या वर्षों तक के लिए अवसूलीय मांग की जाती है।

इसलिए, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां निर्धारिती द्वारा फाइल की गई अपील में अपील अधिकरण रोक लगाने वाला आदेश पारित करता है वहां वह अधिकरण रोक लगाने वाले ऐसे आदेश को पारित करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर उस अपील की सुनवाई करेगा और उसका विनिश्चय करेगा जिसके न हो सकने पर लगाई गई रोक, पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर रद्द हो जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून,2001 से प्रभावी होगा और उस तारीख को उसके पश्चात् स्थगन देने के संबंध में लागू होगा।

*[खंड 78]*

**पुनरीक्षण आवेदनों को फाइल करने के लिए फीस में वृद्धि**

धारा 264 में अंतर्विष्ट विधान उपबंध के अधीन, आयुक्त या तो स्वप्रेरणा से या पुनरीक्षण के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगा। उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए निर्धारिती द्वारा प्रत्येक आवेदन के साथ पच्चीस रुपए की फीस संलग्न की जाएगी।

आयुक्त के समक्ष तुच्छ पुनरीक्षण आवेदनों को फाइल करने में हतोत्साहित करने और आयुक्त (अपील) को अपील करने की बाबत विहित फीस के साथ ऐसे आवेदनों को फाइल करने के लिए संदेय फीस को सम्मिलित करने की दृष्टि से, यह उपबंध करने के लिए धारा 264 का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए निर्धारिती द्वारा प्रत्येक आवेदन के साथ पांच सौ रुपए की फीस संलग्न की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2001 से प्रभावी होगा।

*[खंड 79]*

# सीमाशुल्क

**टिप्पण :** *सीमाशुल्क से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।*

**सीमाशुल्क के बारे में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैंः**

**I. साधारण दर संरचना :-**

**क 10% अधिभार तारीख 1 मार्च, 2001 से समाप्त हो जाएगा।**

**ख चाय और काफी, कोपरा, नारियल और नारियल के टुकड़ों पर सीमाशुल्क 35% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है।**

**ग कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेल पर सीमाशुल्क की दरें निम्नानुसार पुनरीक्षित की गई हैं:-**

| | | से | तक |
|---|---|---|---|
| **(i)** | **कच्चा तेल** | | |
| (क) | ताड़ का तेल (वनस्पति-अंतिम उपयोग के आधार पर) | 25% | 55%* |
| (ख) | ताड़ का तेल (साधारण) | 55% | 75% |
| (ग) | सोयाबीन का तेल | 35% | 45% |
| (घ) | सूरजमुखी/कुसुम का तेल | 35% | 75% |
| (ङ) | नारियल का तेल | 45% | 75% |
| (च) | रेपसीड ऑयल | 35% | 75% |
| (छ) | मूंगफली का तेल | 35% | 75% |
| (ज) | कोलजा/सरसों का तेल | 35% | 75% |
| (झ) | अन्य सभी तेल | 35% | 75% |
| **(ii)** | **परिष्कृत तेल** | | |
| (क) | ताड़ का तेल (साधारण) | 65% | 85% |
| (ख) | सोयाबीन का तेल | 45% | कोई परिवर्तन नहीं। |
| (ग) | सूरजमुखी/कुसुम का तेल | 45% | 85% |
| (घ) | नारियल का तेल | 45% | 85% |
| (ङ) | रेपसीड ऑयल | 45% | 75% |
| (च) | मूंगफली का तेल | 45% | 85% |
| (छ) | कोलजा/ सरसों का तेल | 45% | 75% |
| (ज) | अन्य सभी तेल | 45% | 85% |

*यह रियायत केवल रुग्ण वनस्पति एककों तक ही सीमित रहेगी।

**घ सूचना प्रौद्योगिकी और दूर संचार सेक्टरः-**

- **सूचना प्रौद्योगिकी और दूर संचार उत्पादों के विनिर्दिष्ट संघटकों पर 15% सीमाशुल्क की विद्यमान दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।**
- **विनिर्दिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उत्पादों पर सीमाशुल्क कम करके 15% कर दिया गया है। मुख्य उत्पाद नीचे उपदर्शित किए गए हैं:-**

(क) बेतार हैंडसेट सहित लाइन टेलीफोन सेट्स
(ख) फैक्स मशीनें
(ग) टेलीप्रिंटर और टेलीफोनिक या तार स्विचिंग उपस्कर तथा सेट टाप बाक्स।
(घ) वर्ड प्रोसेसिंग मशीनें ।
(ङ) संगणक मशीनें
(च) एकाउंटिंग मशीनें।
(छ) स्वचालित गणक मशीनें(एटीएम) और उनके विनिर्दिष्ट पुर्जे
(ज) स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीनों के स्थैतिक परिवर्तक
(झ) स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन और दूरसंचार उपकरण जिसमें उनके विनिर्दिष्ट पुर्जे भी सम्मलित हैं, के विद्युत प्रदाय के लिए प्रेरक।
(ञ) कुछ प्रकार के संधारित्र
(ट) अनरिकार्डेड मैग्नेटिक टेपें
(ठ) डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरा
(ड) इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रौमैकेनिकल स्विच
(ढ) विनिर्दिष्ट फोटोप्रतिलिपिकरण उपकरण

**ङ आधारिक टेलीफोन, सेलुलर, रेडियो पेजिंग,वी-सेट, पी एम आर टी एस और इंटरनेट सेवाओं के लिए विनिर्दिष्ट उपस्कर और उनके भागों पर लागू ग्राह्य 5% सीमाशुल्क की रियायती दर तारीख 31.3.2002 तक विस्तारित की गई है।**

**च. 159 विनिर्दिष्ट टेक्सटाइल्स मशीनों पर सीमाशुल्क 15% से कम कर के 5% कर दिया गया है।**

**छ. निम्नलिखित पर सीमाशुल्क में कमीः**

- डी एम टी, पीटीए, एमईजी और केपरोलेक्टम में 25% से कम करके 20%
- पालिएस्टर और नायलॉन चिपों पर 35% से कम करके 25%।

- सिल्क अपशिष्ट, 35% से कम करके 15% ।
- कपास अपशिष्ट, 25% से कम करके 15%।
- फ्लैक्स फाइबर, 25% से कम करके 15%।
- पेनों के पुर्जे, 35% से कम करके 15%।
- एटीएम के लिए उप-संयोजन, 35% से कम करके 15%।
- थर्मामीटर के लिए ग्लास कैपिलेरी ट्यूब में 35% से कम करके 25%।
- पूर्ण दग्ध चुम्बक (उच्च शुद्धता); संगलित मैगनीशिया और समुद्री जल मैग्नीशिया में 25% से कम करके 15%।
- सीमेंट और क्लिंकर, 35% से कम करके 25%।
- सोडा भस्म, 35% से कम करके 20%।
- विनिर्दिष्ट चलचित्रीय कैमरा और उपस्कर, 25% से कम करके 15%।
- क्रीडा/खेल स्टेडियम में उपयोग के लिए लैंप और प्रकाश फिटिंग, यदि मान्यताप्राप्त परिसंघों या संगमों द्वारा आयात किए जाएं, 35% से कम करके 15%।
- कर्तित और पालिशकृत रंगीन जड़ाऊ रत्न 35% से कम करके 15%।
- रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्रायोजित विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयातित उपस्कर पर शुल्क 25% से कम करके 15% कर दिया गया है|

**ज स्वर्ण पर शुल्क 400 रुपए प्रति दस ग्राम से कम करके 250 रुपए प्रति दस ग्राम किया गया है।**

**झ विमानों, विमानों के सिमुलेटरों, हेलीकाप्टरों और ग्लाइडरों पर 3% सीमाशुल्क अधिरोपित किया गया है।**

**ञ एनेक्सोपेरिन पर 15% सीमाशुल्क अधिरोपित किया गया है। प्रतिशुल्क से छूट को भी वापस ले लिया गया हैं।**

**ट निम्नलिखित मदों पर 5% शुल्क अधिरोपित किया गया है।**

| क्रम संख्या | मद |
|---|---|
| 1. | शुष्क फलीदर वनस्पति (दालें ) |
| 2. | सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किरोसिन |
| 3. | अंगूर की पैकिंग के लिए अंगूर रक्षक पेपर |
| 4. | हथकरघा सेक्टर के लिए कच्ची ऊन |
| 5. | अपरिष्कृत मोती (कल्चरित से भिन्न) अपरिष्कृत कल्चरित मोती (अधिमिश्रण सहित), रुबी, पन्ना और नीलम (जो जड़े न हों और अकर्तित हो) अनगढ़े हीरे, अनगढ़े उपरत्न। |
| 6. | आउटबोर्ड मोटरों के विनिर्दिष्ट पुर्जे |
| 7. | क्रूज/स्थोरा पोत और माल/ व्यक्तियों के परिवहन के लिए इसी तरह के जलयान, जब उनका भंजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए आयात किया जाए। |
| 8. | मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण/ परिरक्षण के लिए मछली पकड़ने के लिए जल-यान और अन्य जलयान, जब उनका कतिपय शर्तों के अध्यधीन भंजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए आयात किया जाए। |
| 9. | कतिपय शर्तो के अधीन रहते हुए ड्रेजर, टग्स और पुशरक्राफ्ट जब उनका भंजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए आयात किया जाए। |
| 10. | विनिर्दिष्ट अस्पताल में प्रयोग के लिए अस्पताल उपस्कर (उपस्कर, उपकरण और साधित्र जिसमें उनके पुर्जे और उपसाधन सम्मिलित है किंतु इसमें उपभोज्य मदें सम्मिलित नहीं है) |
| 11. | 15 मेव या उससे अधिक की बीम ऊर्जा सहित लिनियर त्वरका |

**उपरोक्त मदों को विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट प्राप्त है।**

**ठ पुरानी (पूर्व स्वामित्व) कारें, बहुउपयोगी यानों और दुपहिया पर 105% तक शुल्क में वृद्धि की गई है।**

**ड द्रवित प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और वाटल निष्कर्षण को अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट दी गई है।**

**ढ पुराने और त्रुटियुक्त एचआर कायलों पर शुल्क 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। प्राइम एचआर कायल पर शुल्क 25% की दर पर बना रहेगा।**

**ण गालन स्क्रैप, जिसमें किसी प्रौद्योगिकी पर आधारित सभी स्टील गालन भी सम्मिलित हैं, को रियायती सीमाशुल्क की परिधि में लाया गया है।**

**त 5% की सीमाशुल्क की रियायती दर, अनुरक्षण के लिए भी विंड प्रचालित विद्युत प्रजनक के विनिर्दिष्ट पुर्जो को विस्तारित की गई है।**

**थ द्रवित प्राकृतिक गैस संपरिवर्तन किट और उनके पुर्जो पर 5% की रियायती दर विस्तारित की गई है।**

**द यात्री सामान पर शुल्क की दर को विशेष अतिरिक्त शुल्क से इसे छूट देकर 60% तक सुव्यवस्थित किया गया है। निवास नियम के अंतरण के अधीन य़ात्री सामान पर विशेष अतिरिक्त शुल्क के बिना अब 35% का शुल्क होगा।**

**II प्रत्यायित प्रेस कैमरामैन और प्रत्यायित प्रेस पत्रकारों को पांच वर्ष में एक बार के अनुबंध के स्थान पर दो वर्ष में एक बार शुल्क मुक्त रियायत अनुज्ञात किया गया है। रियायत में प्रत्यायित प्रेस कैमरामैन के लिए डिजिटल कैमरे भी होंगे।**

**III** प्रभारित प्रतिशुल्क के लिए विधिक उपबंधः

**जहां कहीं देश में उत्पादित समरूप माल पर ऐसे आधार पर उत्पादन शुल्क प्रभारित किया जाता है वहां अधिकतम खुदरा मूल्य पर उपभोक्ता माल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क (प्रतिशुल्क) प्रभारित करने के लिए विधिक उपबंध किए गए हैं।**

**IV सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख और धारा 9क में संशोधनः**

- **शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों और मुक्त व्यापार जोनों में एककों या विशेष आर्थिक जोनों द्वारा आयातित माल पर प्रतिपाटन शुल्क या सुरक्षोपाय शुल्क पर छूट का उपबंध किया गया है।**
- **टैरिफ दर कोटा के आधार पर सुरक्षोपाय शुल्क से छूट का उपबंध किया गया है।**

# संघ उत्पाद-शुल्क

**टिप्पणः** ***वि.उ.शु. से विशेष उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत है।***

***अ.उ.शु. से विक्रय कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क अभिप्रेत है।***

**केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से संबंधित मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैः**

**I. मूल्यानुसार शुल्क दर संरचना में परिवर्तन**

**क. साधारण मूल्यानुसार दर संरचनाः-**

- उत्पाद-शुल्क संरचना को 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (केवल चार अपवादों सहित) को एकल दर में सुव्यवस्थित किया गया है।
- विशेष उत्पाद-शुल्क की 8%, 16% और 24% की दरों को कम करके अब 16% की एकल दर की गई है।

| विद्यमान दर (मूल्यानुसार) | | | प्रस्तावित दर (मूल्यानुसार) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| के.मू.व.क. | + | वि.उ.शु. | के.मू.व.क. | + | वि.उ.शु. |
| 16% | + | - | 16% | + | - |
| 16% | + | 8% | 16% | + | शून्य या 16% |
| 16% | + | 16% | 16% | + | 16% |
| 16% | + | 24% | 16% | + | 16% |

**ख. फलों और सब्जियों पर आधारित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों (जैम, जेली, चटनी, केचअप, सूप आदि) को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।**

**ग. सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क (रा.वि. शुल्क) नामक अतिरिक्त उद्ग्रहण अधिरोपित किया गया है।**

**घ. 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (आंशिक छूट सहित) की विद्यमान संरचना में परिवर्तनः**

- **निम्नलिखित मदों पर आंशिक छूट वापस ले ली गई है। वे अब 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर पर प्रभारित किए जाएंगे।**
  - (क) धुलाई का साबुन
  - (ख) ऊनी सूत
  - (ग) मोटा सूत
  - (घ) ऊनी टाप्स
  - (ङ) विस्कोस सूत यदि हथकरघे के लिए प्रदाय किया गया है
  - (च) फ्लैक्स या रैमी सूत
  - (छ) 5 रुपए से अनधिक अधिकतम खुदरा मूल्य और 100 ग्राम से अनधिक भार वाले बिस्कुट
- **निम्नलिखित मदों पर 8% शुल्क की प्रभावी दर जारी रहेगीः-**
  - (क) द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.)
  - (ख) किरोसिन
  - (ग) सिलाई धागे सहित कपास सूत
  - (घ) 10 अश्व शक्ति तक के डीज़ल इंजन

**ङ 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 8% विशेष उत्पाद-शुल्क की विद्यमान संरचना में परिवर्तनः-**

- निम्नलिखित मदों पर अब 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रभारित किया जाएगा और इन पर कोई विशेष उत्पाद-शुल्क नहीं होगाः-
  - (क) कांचित टाइलें और कांचावनीय टाइलें
  - (ख) स्कूटर और मोटरसाइकिलें
  - (ग) टैक्सियां
  - (घ) गद्दे और बिछायतें
  - (ङ) कालीन और टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग
  - (च) पेंट किए हुए कैनवस, स्टूडियो बैक क्लोथ या सदृश
  - (छ) लिनोलियम, दीवारों के टेक्सटाइल आच्छादन
- निम्नलिखित मदें 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 16% विशेष उत्पाद-शुल्क से प्रभारित की जाएंगीः-
  - (क) सफेद सीमेंट और अन्य विशेष सीमेंट
  - (ख) नाव और क्रीड़ा नौका
  - (ग) शस्त्र और गोला-बारूद (प्राइवेट उपयोग हेतु)
  - (घ) फरदार चर्म और कृत्रिम फर के विनिर्माता।

**च. 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 24% विशेष उत्पाद-शुल्क की विद्यमान संरचना में परिवर्तनः-**

- निम्नलिखित मदों पर अब 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 16% विशेष उत्पाद-शुल्क प्रभारित किया जाएगा
  - (क) वातित सुपेय
  - (ख) सांद्र सुपेय, यदि बिक्री मशीनों को प्रदाय किया जाता है
  - (ग) मोटर कारें

- पान मसाला, जिसमें तंबाकू(गुटखा) भी है, को अध्याय 21 से हटाकर अध्याय 24 में रखा गया है।
- पान मसाला पर, जिसमें तंबाकू नहीं है, कुल 55% शुल्क (16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 16% विशेष उत्पाद-शुल्क + 23% राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क) लगाया जाएगा।
- पान मसाला पर, जिसमें तंबाकू (गुटखा) भी है, कुल 60% शुल्क (16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 16% विशेष उत्पाद-शुल्क + 18% अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क +10% राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क) लगाया जाएगा।
- खाने वाला तंबाकू, नसवार तम्बाकू और उसी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों पर अब कुल 60% शुल्क (16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 16% विशेष उत्पाद-शुल्क + 18% अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क + 10% राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क) लगाया जाएगा।
- पान मसाला, जिसमें तम्बाकू और खाने वाला तम्बाकू जैसे अन्य तम्बाकू उत्पाद भी हैं, को अब पूर्वोत्तर राज्यों को लागू उत्पाद-शुल्क छूट की स्कीम से अपवर्जित किया जाएगा।

**छ. पेट्रोल, डीज़ल और संपीडित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) पर शुल्कः-**

- मोटर स्प्रिट पर शुल्क 16% से बढ़ाकर 32% (16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर +16% विशेष उत्पाद शुल्क )किया गया है।
- उच्च गति डीज़ल तेल पर शुल्क, केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर 12% से बढ़ाकर 16% कर दिया गया है।
- संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) पर 8% की दर पर उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया है।

**ज. ऊनी, फैब्रिक पर विद्यमान 21% शुल्क (16% केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर + 5% अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) को पुनरीक्षित करके 16% (8% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर + 8% अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) किया गया है।**

**झ. कार्टनों, बाक्सों, आधानों, नालीदार पेपर या पेपर बोर्डों के केसों पर छूट वापस ले ली गई है। अब उन पर 16% का नाममात्र केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर लगेगा।**

**ञ. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड/व्यवसाय नाम के अधीन विक्रीत परिधानों और पहनावे पर, 16% का उत्पाद-शुल्क 1.3.2001 से प्रभावी होगा।**

## II. विनिर्दिष्ट शुल्क दर संरचना में परिवर्तन

क. सिगरेटों और बीड़ियों पर निम्नलिखित रूप से राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक शुल्क (रा.वि.शुल्क) अधिरोपित किया गया हैः-

| | विद्यमान शुल्क (प्रति 1000 रुपए) आधारित+अ.उ.शु. | प्रस्तावित शुल्क (प्रति 1000 रुपए) आधारित+अ.उ.शु. | रा.आ.आ.शु. | प्रस्तावित कुल शुल्क (प्रति हजार रुपए) |
|---|---|---|---|---|
| • **फिल्टर रहित सिगरेटें:** | | | | |
| * लंबाई में 60 मिमी से अनधिक | 115 | 115 | +20 | 135 |
| * लंबाई में 60 मिमी से अधिक किन्तु 70 मिमी से कम | 390 | 390 | +60 | 450 |
| • **फिल्टर सिगरेटें:** | | | | |
| * लंबाई में 70 मिमी से अनधिक | 580 | 580 | +90 | 670 |
| * लंबाई में 70 मिमी से अधिक किन्तु 75 मिमी से अनधिक | 945 | 945 | +145 | 1090 |
| * लंबाई में 75 मिमी से अधिक किन्तु 85 मिमी से अनधिक | 1260 | 1260 | +190 | 1450 |
| * लंबाई में 85 मिमी से अधिक | 1545 | 1545 | +235 | 1780 |
| • **बीड़ियां** | 6 | 6 | +1 | 7 |

**ख. दियासलाई सेक्टर**

| | विद्यमान शुल्क | प्रस्तावित शुल्क |
|---|---|---|
| | (रुपए प्रति सौ बाक्स, जिसमें प्रत्येक में 50 तिल्लियां हों) | |
| * हस्तनिर्मित सेक्टर (कुटीर सेक्टर) | 25 पैसा | 50 पैसा |
| * मध्य सेक्टर | 85 पैसा | 1 रुपया |
| * अर्ध यंत्रीकृत सेक्टर | 1.25 रुपए | 2 रुपए |
| * यंत्रीकृत सेक्टर | 2.40 रुपए | 3 रुपए |

## III. उद्योग संबंधी विनिर्दिष्ट परिवर्तनः

**स्वतंत्र वस्त्र प्रसंस्करणकर्ताः-**

- निवेश पर समझे गए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय सहित चैम्बर आधारित प्रशमित शुल्क की विद्यमान प्रणाली के स्थान पर अब स्वतंत्र वस्त्र प्रसंस्करणकर्ता 16% केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर के मूल्यानुसार शुल्क के अधीन होगा।
- यह 1 मार्च, 2001 से प्रभावी होगा।

## IV. लघु उद्योग स्कीम में परिवर्तनः-

**क. निम्नलिखित मदें लघु उद्योग छूट स्कीम में सम्मिलित नहीं होंगीः-**

- बाल या बेलन बियरिंग
- कपास सूत
- आयुध और गोला बारूद (प्राइवेट उपयोग के लिए)

**ख. अब लघु उद्योग छूट स्कीम निम्न मदों पर विस्तारित की गई हैः-**

* व्यूतित स्थूणा फैब्रिक
* सनील सूत

**V. अधिकतम खुदरा मूल्य आधारित उत्पाद-शुल्क निर्धारण का विस्तारः-**

**क. तीन नई मदें अधिकतम खुदरा मूल्य पर आधारित निर्धारण स्कीम में सम्मिलित की गई हैं:-**

* अभिरंजक
* भरक और पुट्टियां
* विरलक

**ख. टी.वी. सेटों, विद्युत पंखों, कांचित/कांचावनित टाइलों तथा वातित जल की बाबत उपांतरित कमी की सीमा।**

**VI क. निम्नलिखित पर 4% की दर से उत्पाद-शुल्क (के.मू.व. क. प्रत्यय रहित) अधिरोपित किया गया है:-**

(क) टूथ ब्रुश

(ख) नकली आभूषण

(ग) नजर के चश्मे

(घ) कांच की मेज और रसोई बर्तन

(ङ) रबड़ीकृत कॉयर के गद्दे

(च) श्याम और श्वेत टीवी सेट

(छ) 500 रुपए प्रति मद तक घड़ियां और बड़ी घड़ियां।

(ज) विद्युत बल्ब 20 रुपए प्रति मद तक

(झ) जूतादि, 125 रुपए प्रति जोड़ा

(ञ) मोमबत्तियां

**ख. के.मू.व.क. प्रत्यय फायदों सहित 16% शुल्क का संदाय करने के लिए विकल्प अनुज्ञात है।**

**VII. सेवा-कर**

**क. निम्नलिखित सेवाओं पर 1 जुलाई, 2001 से प्रभावी 5% की दर से सेवा कर अधिरोपित किया गया है:-**

| क्र.सं. | सेवाओं का विवरण |
|---|---|
| 1. | वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्शी सेवाएं |
| 2. | फोटोचित्रण सेवाएं |
| 3. | कन्वेंशन सेवाएं |
| 4. | टेलेक्स सेवाएं |
| 5. | तार सेवाएं |
| 6. | अनुलिपि (फैक्स) सेवाएं |
| 7. | ऑन-लाइन सूचना तथा डाटा बेस अभिगमन और/या पुनःप्राप्ति सेवाएं |
| 8. | वीडियो टेप उत्पादन सेवाएं |
| 9. | ध्वन्यांकन सेवाएं |
| 10. | प्रसारण सेवाएं (रेडियो और टेलीविज़न) |
| 11. | बीमा सहायक सेवाएं (जिसमें दलाली और अभिकरण सेवाएं भी हैं) |
| 12. | बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाएं (बीमा को छोड़कर) |

(क) वित्तीय पट्टा जिसके अंतर्गत उपस्कर पट्टा और किसी निकाय निगम द्वारा भाड़ा क्रय भी है।

(ख) क्रेडिट कार्ड सेवाएं

(ग) वणिक बैंककारी सेवाएं

(घ) प्रतिभूतियां और विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) दलाली;

(ङ) आस्ति प्रबंधन जिसमें पोर्टफोलियो प्रबंधन, सभी प्रकार के निधि प्रबंधन, पेंशन निधि प्रबंधन, अभिरक्षकीय निक्षेपागार तथा न्यास सेवाएं सम्मिलित हैं किंतु इसमें रोकड़ प्रबंधन सम्मिलित नहीं है;

(च) सलाहकारी और सहायक वित्तीय सेवाएं जिसमें विनिधान और पोर्टफोलियो अनुसंधान और सलाह, विलियन और अर्जन संबंधी सलाह और कारपोरेट पुनर्संरचना तथा युक्ति संबंधी सलाह भी हैः और

(छ) वित्तीय सूचना और आंकड़ा प्रसंस्करण का उपबंध और उनका अंतरण

13. पत्तन सेवाएं
14. यानों, जिनमें दुपहिए भी हैं, की सर्विस या मरम्मत के लिए प्राधिकृत सर्विस स्टेशन

**(ख) पट्टा धारकों को दी गई सेवाएं भी 1.7.2001 से प्रभावी कर नेट के अंतर्गत आएंगी।**

**VIII. केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर नियमों में संशोधनः-**

(क) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर उधार के लिए भंडारकरण टैंक पूंजी माल में सम्मिलित किए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर उधार स्कीम में सांचों और डाइयों के वैसे ही जिगों और फिक्सचरों को सुविधाएं विस्तारित की गई हैं।

# प्रकीर्ण

## क. सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का सरलीकरण किया जा रहा है और नियमों की संख्या में भारी कमी की जा रही है। नए नियम 1 जुलाई, 2001 से प्रवर्तनशील होंगे।

(ख) आयुक्त (अपील) या न्यायाधिकरण को अपील फाइल करने की सामान्य समय-सीमा 3 मास से कम करके 60 दिन कर दी गई है।

(ग) नवीन न्यायनिर्णयन के लिए मामले प्रतिप्रेषित करने की आयुक्त की शक्ति वापस ले ली गई है।

(घ) अपील के विनिश्चय की समय-सीमा 6 मास और जहां तक संभव हो सके स्थगन आवेदनों पर आदेश पारित करने के लिए 30 दिन की समय-सीमा अधिकथित की गई है।

(ङ) सामान्य मामलों में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क द्वारा, जहां तक संभव हो सके, सामान्य मामलों में 6 मास/कपट आदि के अन्तवर्लित मामलों में एक वर्ष के भीतर आदेश पारित किए जाएंगे।

(च) भांडागार में रखे गए माल पर ब्याज को तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् संदत्त किया जाएगा। ये परिवर्तन वित्त विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् अधिसूचित तारीख को प्रभावी होंगे।

(छ) तारीख 15.3.2001 को या इसके पश्चात् निकाले गए माल की बाबत भांडागार में रखे गए माल पर ब्याज 24% की समान दर पर नियत किया गया है।

(ज) शुल्क के विलंबित संदायों में ब्याज दर, जो सभी मामलों में संदाय की जानी थी, उसके पश्चातवर्ती मास के पहले दिन से प्रभारित की जाएगी।

(झ) ऐसे मामलों में, जहां कम उद्ग्रहण का ब्याज सहित संदाय, स्वेच्छा से कर दिया जाता है, कारण बताओ नोटिस और न्यायनिर्णयन कार्यवाही का उपबंध समाप्त कर दिया गया है।

(ञ) ऐसे मामलों में जहां, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37ख के अधीन या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 151क के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, अनुदेश या निदेश की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर यदि कोई निर्धारिती शुल्क का संदाय कर देता है तो उस पर ब्याज संदेय नहीं होगा।

(ट) अद्यतन अनुदेशों और प्रक्रिया के नए मैंनुअल 1 सितंबर, 2001 तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सरलता, संक्षिप्तता और पारदर्शिता पर बल दिया जाएगा।

(ठ) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 112/धारा 113 के अधीन अधिरोपित शास्ति का सुव्यवस्थीकरण।

## ख. सेवा-कर

(क) सेवा-कर में स्वनिर्धारण के लिए उपबंध करना।

(ख) विवरणी न फाइल करने के लिए 1000 रुपए से अनधिक शास्ति का उपबंध करना।

(ग) अरजिस्ट्रीकरण के लिए 500 रुपए की शास्ति का उपबंध करना।

(घ) कर के विलंबित संदाय के लिए ब्याज दर 18% से बढ़ाकर 24% किया जाना।

(ङ) सहायक आयुक्त/उपायुक्त द्वारा पारित किए जाने वाले मूल आदेश प्रदान करना।

## डाक शुल्क दर का वित्त विधेयक, 2001 के (खण्ड 131 द्वारा) प्रस्तावित संशोधन दर्शाने वाला ज्ञापन

कतिपय डाक सामग्रियों के लिए लगाई जाने वाली शुल्क दरों की अधिकतम सीमा भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की प्रथम अनुसूची में विहित की गई है। इस अनुसूची और अन्य सेवाओं में शामिल नहीं की गई ऐसी सामग्री और अन्य डाक सामग्री के संबंध में विहित उक्त अधिकतम सीमा के भीतर, केन्द्रीय सरकार को (भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 7 द्वारा) भारतीय डाकघर नियम, 1933 में संशोधन करते हुए, राजपत्र में, अधिसूचना जारी करके दरों को नियत करने की शक्ति प्राप्त है।

2. नीचे दी गई सारणी में क्रम संख्या 1 से 7 पर सूचीबद्ध डाक सामग्री के संबंध में शुल्क दरों का पुनरीक्षण के प्रस्ताव में भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है तथा इन्हें वित्त विधेयक में शामिल कर लिया गया है। ये परिवर्तन तथा अन्य डाक सेवाओं की शुल्क दरों का पुनरीक्षण भारतीय डाकघर नियम, 1933 में संशोधन करते हुए, किए जाएंगे।

| क्र.सं. | मद | विद्यमान टैरिफ | | प्रस्तावित टैरिफ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **पोस्टकार्ड** | पोस्टकार्ड के लिए | 25 पैसे | पोस्टकार्ड के लिए | 50 पैसे |
| **2.** | **मुद्रित पोस्टकार्ड** | मुद्रित पोस्टकार्ड के लिए | 2 रुपए | मुद्रित पोस्टकार्ड के लिए | 3 रुपए |
| **3.** | **प्रतियोगिकता पोस्टकार्ड** | प्रतियोगिकता पोस्टकार्ड के लिए | 4 रुपए | प्रतियोगिकता पोस्टकार्ड के लिए | 5 रुपए |
| **4.** | **पत्र** | बीस ग्राम से अनधिक वजन के लिए | 3 रुपए | बीस ग्राम से अनधिक वजन के लिए | 4 रुपए |
| | | प्रत्येक बीस ग्राम या बीस ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 3 रुपए | प्रत्येक बीस ग्राम या बीस ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 4 रुपए |
| **5.** | **बुक पैटर्न और नमूने पैकेट** | पहले पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 2 रुपए | पहले पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 3 रुपए |
| | | प्रत्येक अतिरिक्त पचास ग्राम या पचास ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 3 रुपए | प्रत्येक अतिरिक्त पचास ग्राम या पचास ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 4 रुपए |
| **6.** | **रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र** | ***रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र की एकल प्रति के मामले में***<br>पचास ग्राम से अनधिक वजन के लिए | 15 पैसे | ***रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र की एकल प्रति के मामले में***<br>प्रत्येक पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 25 पैसे |
| | | पचास ग्राम से अधिक किन्तु सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए | 25 पैसे | पचास ग्राम से अधिक किन्तु सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए | 50 पैसे |
| | | प्रत्येक अतिरिक्त सौ ग्राम या सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 10 पैसे | प्रत्येक अतिरिक्त सौ ग्राम या सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 20 पैसे |
| | | ***रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र के उसी अंक की एक से अधिक प्रति के मामले में जब उसी पैकेट में वहन किया जाता हो*** | | ***रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र के उसी अंक की एक से अधिक प्रति के मामले में जब उसी पैकेट में वहन किया जाता हो*** | |
| | | एक सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए | 25 पैसे | एक सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए | 50 पैसे |
| | | प्रत्येक अतिरिक्त एक सौ ग्राम वजन और एक सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 10 पैसे | प्रत्येक अतिरिक्त एक सौ ग्राम या एक सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 20 पैसे |
| | | *परन्तु यह तब जब ऐसा पैकेट किसी प्रेषिती निवासी को परिदत्त नहीं किया जाएगा, अपितु इसे डाकघर में किसी मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को दिया जाएगा।* | | *परन्तु यह तब जब ऐसा पैकेट किसी प्रेषिती निवासी को परिदत्त नहीं किया जाएगा, अपितु इसे डाकघर में किसी मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को दिया जाएगा।* | |
| **7.** | **पार्सल** | पांच सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए | 12 रुपए | पांच सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए | 16 रुपए |
| | | प्रत्येक पांच सौ ग्राम या पांच सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 15 रुपए | प्रत्येक पांच सौ ग्राम या पांच सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 15 रुपए |

| क्र. सं. | मद | विद्यमान टैरिफ | | प्रस्तावित टैरिफ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.** | **रजिस्ट्रीकरण** | रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस | 14 रुपए | रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस | 17 रुपए |
| **9.** | **मूल्य देय पुस्तक पैकेट, जिसमें मुद्रित पुस्तकें अन्तर्विष्ट है, जिनका मूल्य 50 रु. से अनधिक है, के रजिस्ट्रीकरण के लिए रियायती फीस** | रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस | 1.25 रुपए | रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस | 2.50 रुपए |
| **10.** | **पुस्तक पैकेट जिनमें मुद्रित पुस्तकें अन्तर्विष्ट हैं।** | पहले सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 50 पैसे | पहले सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 1 रुपए |
| | | प्रत्येक अतिरिक्त सौ ग्राम या सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 50 पैसे | प्रत्येक अतिरिक्त सौ ग्राम या सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 1 रुपए |
| **11.** | **पुस्तक पैकेट जिनमें नियतकालिक पत्रिकाएं अन्तर्विष्ट हैं।** | पहले सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 1 रुपए | पहले सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए | 2 रुपए |
| | | प्रत्येक अतिरिक्त सौ ग्राम या सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 2 रुपए | प्रत्येक अतिरिक्त सौ ग्राम या सौ ग्राम से अधिक उसके भिन्नांश के लिए | 3 रुपए |
| **12.** | **परिदान अभिस्वीकृति की फीस** | अभिस्वीकृति फीस | 2 रुपए | अभिस्वीकृति फीस | 3 रुपए |